भारतीय रिज़र्व बैंक

निर्गम विभाग, अहमदाबाद

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

<u>आरबीआई/अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/1/26-27/ईटी/83</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद (जिसे इसके पश्चात 'बैंक' कहा गया है), सिक्कों के परिवहन के लिए 'पर्याप्त संख्या में और पूरी तरह से कवर किए गए बंद नकदी वैन/ कंटेनर ट्रकों/ बंद वाहनों की आपूर्ति' हेतु प्रतिष्ठित और अनुभवी परिवहन ठेकेदारों (कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले) से दो बोली प्रणाली (तकनीकी और मूल्य बोली) के तहत ई-निविदा आमंत्रित करता है, जो 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए होगी।

इच्छुक और पात्र कंपनियां/ फर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx और एमएसटीसी की वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com से निविदा फॉर्म डाउनलोड कर सकती हैं। निविदा की समय-सीमा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**ई-निविदा अनुसूची**	**निर्धारित तिथि और समय**
1	आरबीआई/एमएसटीसी वेबसाइट पर ई-निविदा देखने की तिथि और समय	29 मई 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे
2	ऑफ़-लाइन बोली-पूर्व बैठक (वैकल्पिक)	04 जून 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे
3	ई-निविदा प्रारंभ होने की तिथि और समय	08 जून 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे
4	बयाना राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि और समय	15 जून 2026, अपराह्न 05:00 बजे तक
5	ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	16 जून 2026, पूर्वाह्न 10:00 बजे तक
6	भाग-I खोलने की तिथि एवं समय	**16 जून 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे**

यदि उपर्युक्त में उल्लिखित किसी भी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित उद्देश्य के लिए अगला कार्यदिवस प्रभावी माना जाएगा।

सभी इच्छुक कंपनियों/ एजेंसियों/ फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा। कृपया यह भी ध्यान दें कि इस संबंध में आगे परिशिष्ट/ शुद्धिपत्र केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक

गुजरात, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली

भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग, अहमदाबाद

“सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से कवर की गई बंद नकदी वैन/ कंटेनर ट्रकों/ बंद वाहनों की आपूर्ति” के लिए ई-निविदा

<u>आरबीआई/अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/1/26-27/ईटी/83</u>

तकनीकी-वाणिज्यिक बोली

बोलीकर्ता का नाम:..

पता:...

टेलीफोन नंबर:..

ईमेल पता:...

भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
अहमदाबाद – 380009
भारत

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, अहमदाबाद द्वारा हितधारक पक्षों को कार्य की पृष्ठभूमि संबंधी सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से यह दस्तावेज़ तैयार किया गया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित सूचना तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और वह इसे यथोचित मानता है, फिर भी न तो भारतीय रिज़र्व बैंक, न ही इसके किसी प्राधिकारी या एजेंसी, और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित सूचना की पूर्णता या सटीकता, अथवा इसके साथ संलग्न की जा सकने वाली किसी भी सूचना के संबंध में कोई वारंटी देते हैं अथवा कोई स्पष्ट या निहित प्रतिनिधित्व करते हैं।

इसका यह आशय नहीं है कि यह जानकारी परिपूर्ण है। इच्छुक पक्षों से अपेक्षित है कि वे अपने स्तर पर भी स्वयं जानकारी ले लें और उत्तरदाताओं से अपेक्षित होगा कि वे लिखित रूप में पुष्टि करें कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। यह सूचना इस आधार पर दी जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक इस निविदा के साथ आगे न बढ़ने या निविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक इस कार्य में अभिरुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखता है। अभिरुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार के लागत शुल्क की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

विषय-सूची सारणी

दस्तावेज़ में दिये गए खंडों का विवरण	पृष्ठ
खंड I - निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)	5
खंड II - निविदा अनुसूची (एसओटी)	6-7
खंड III - ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	8-11
खंड IV - निविदा का प्रपत्र	12-14
खंड V - बोलीकर्ताओं को निर्देश ('सामान्य और विशेष शर्तों' सहित)	15-29
खंड VI – भाग-I – तकनीकी बोली प्रपत्र	30-32
खंड VII - दस्तावेजों की सूची	33-34
खंड VIII - भाग-I (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन	35
खंड IX – भाग-II - मूल्य बोली	36-37
अनुलग्नक 'ए' – दस्तावेजों का प्रारूप	38-46

भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग, अहमदाबाद

खंड- I
निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)
(केवल ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से)

<u>आरबीआई/अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/1/26-27/ईटी/83</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद (जिसे इसके पश्चात 'बैंक' कहा गया है), सिक्कों के परिवहन के लिए 'पर्याप्त संख्या में और पूरी तरह से कवर किए गए बंद नकदी वैन/ कंटेनर ट्रकों/ बंद वाहनों की आपूर्ति' हेतु प्रतिष्ठित और अनुभवी परिवहन ठेकेदारों (कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले) से दो बोली प्रणाली (तकनीकी और मूल्य बोली) के तहत ई-निविदा आमंत्रित करता है, जो 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए होगी।

इच्छुक और पात्र कंपनियां/ फर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx और एमएसटीसी की वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com से निविदा फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा की समय-सीमा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	ई-निविदा अनुसूची	निर्धारित तिथि और समय
1	आरबीआई/एमएसटीसी वेबसाइट पर ई-निविदा देखने की तिथि और समय	29 मई 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे
2	ऑफ़-लाइन बोली-पूर्व बैठक (वैकल्पिक)	04 जून 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे
3	ई-निविदा प्रारंभ होने की तिथि और समय	08 जून 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे
4	बयाना राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि और समय	15 जून 2026, अपराह्न 05:00 बजे तक
5	ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	16 जून 2026, पूर्वाह्न 10:00 बजे तक
6	भाग-I खोलने की तिथि एवं समय	**16 जून 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे**

यदि उपर्युक्त में उल्लिखित किसी भी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित उद्देश्य के लिए अगला कार्यदिवस प्रभावी माना जाएगा।

सभी इच्छुक कंपनियों/ एजेंसियों/ फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा। कृपया यह भी ध्यान दें कि इस संबंध में आगे परिशिष्ट/ शुद्धिपत्र केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक
गुजरात, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली

खंड-II
निविदा अनुसूची (एसओटी)

1.	ई-निविदा सं.	आरबीआई/अहमदाबादक्षेत्रीयकार्यालय/निर्गम/1/26-27/ईटी/83
2.	कार्यों का विवरण	"सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या (न्यूनतम पांच) में पूरी तरह से कवर की गई बंद नकदी वैन/ कंटेनर ट्रकों/ बंद वाहनों की आपूर्ति"
3.	निविदा का तरीका	एमएसटीसी ई-कॉमर्स साइट (www.mstcecommerce.com/eprocn) पर ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी बोली और भाग II -वित्तीय बोली)
4.	संविदा की अवधि	31 मार्च 2028 तक यह अवधि संविदा की शर्तों में संशोधन के साथ/ संशोधन के बिना एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, जैसाकि पारस्परिक रूप से सहमति हो।
5.	कार्य / संविदा मूल्य का अनुमानित मूल्य	31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए प्रतिवर्ष, जीएसटी सहित, **₹93,00,000/-** (रुपये तिरानवे लाख मात्र) यह ध्यान दिया जाए कि कार्य के वास्तविक मूल्य में कुछ परिवर्तन हो सकता है।
6.	इच्छुक पक्षों को डाउनलोड करने के लिए एनआईटी उपलब्ध होने की तिथि	29 मई 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे
7.	लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी (MSTC) पोर्टल पर यथा लागू। **लेन-देन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।**
8.	बयाना जमाराशि (निविदा मूल्य का 2%)	एनईएफटी के रूप में **₹1,86,000/-** (एक लाख छियासी हज़ार रुपये मात्र) की बयाना जमाराशि। ईएमडी के बिना प्राप्त ऐसी किसी भी बोली को गैर-वास्तविक माना जाएगा और उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से अस्वीकार कर दिया जाएगा। **लाभार्थी का नाम– Reserve Bank of India Ahmedabad** **खाता संख्या: 186003001** **IFSC: RBIS0AHPA01** (**पांचवां और दसवां अंक शून्य (0) के रूप में पढ़ा जाए)** (**ईएमडी**) **पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।**
9.	एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	15 जून, 2026 अपराह्न 05:00 बजे तक

10.	सुरक्षा जमाराशि/ निष्पादन बैंक गारंटी (चयनित ठेकेदार पर लागू)	भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में **₹2,00,00,000** (केवल दो करोड़ रुपये) की राशि के लिए निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)/ सुरक्षा जमा राशि अधिसूचना जारी होने के 10 दिनों के भीतर जमा की जाएगी। **सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।**
11.	ऑफ-लाइन बोली-पूर्व बैठक का निर्धारित समय (वैकल्पिक)	04 जून 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे (यह बैठक अहमदाबाद में रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यालय भवन की दूसरी मंजिल पर स्थित बैठक कक्ष में आयोजित की जाएगी। बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर उल्लिखित स्थान पर उपस्थित रहें।)
12.	ऑनलाइन तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करने हेतु (www.mstcecommerce.com/eprocn) पर ई-निविदा शुरू होने की तिथि	08 जून 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे
13.	तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि	16 जून 2026 पूर्वाह्न 10:00 बजे
14.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय	**16 जून 2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे**
15.	वित्तीय बोली खोलने की तिथि और समय	केवल उन निविदाकर्ताओं के निविदाओं का भाग-II अर्थात मूल्य बोली खोली जाएगी जिनका भाग-I अर्थात तकनीकी-वाणिज्यिक बोली बैंक द्वारा स्वीकार्य पाई गई हो। ऐसे निविदाकर्ता (ओं) को भाग-II मूल्य बोली खोलने की तारीख के बारे में सूचना उनके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर भेजी जाएगी।

खंड III
एमएसटीसी पोर्टल पर ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह एमएसटीसी लिमिटेड का ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। आपसे अनुरोध है कि अपनी ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले इस निविदा संबंधी नियमों और शर्तों को पढ़ लें। जो बोलीकर्ता दस्तावेजी प्रमाण (जहां भी आवश्यक हो) के साथ शर्तों का पालन नहीं करेंगे, वे इस निविदा में मूल्य बोली खोलने के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।

1. **ई-निविदा की प्रक्रिया**

पंजीकरण: -

इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण किया जाना शामिल है जो नि:शुल्क होता है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ इंटरनेट पर मूल्य बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी-III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली निम्नलिखित साइट पर ऑनलाइन जमा की जानी है- www.mstcecommerce.com/eprocn/ (Version 3)

विक्रेताओं से अपेक्षित है कि वे www.mstcecommerce.com/eprocn पर स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करें

विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरें और स्वयं की उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं, सबमिट करें।

अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/ वीडियो/ पंजीकरण पर जाएं, विक्रेताओं को उनके उस ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड ईमेल प्राप्त होगा जो उन्होंने पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया हो।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/ आरबीआई से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

मेघा सिन्हा, उप प्रबंधक megha@mstcindia.co.in Ph-0265-2960354/2960379/2960385	**मारुत साहा, प्रबंधक** vadopn3@mstcindia.co.in Ph-0265 2960354/2960379/2960385

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई):

चंद्रपाल सिंह उमठ, सहायक महाप्रबंधक cpsumath@rbi.org.in 079-27548203	**2.सारंग सालुंके, सहायक प्रबंधक** svsalunke@rbi.org.in 079-27548212

सिस्टम की आवश्यकता: -

i) विवरण के लिए, विक्रेता https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड देख सकते हैं।

	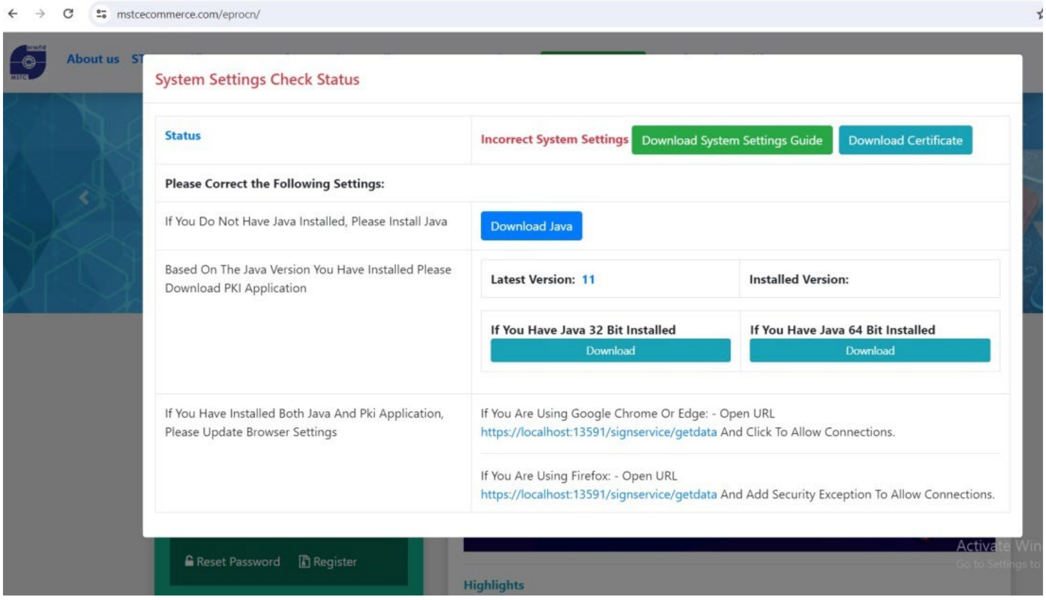
2.	(ए) भाग-I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एनआईटी में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। बोलीकर्ता बोली को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खोलते हुए देख सकते हैं। (बी) केवल उन्हीं बोलीकर्ताओं की भाग-II मूल्य बोली इलैक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-I तकनीकी वाणिज्यिक बोली भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य पाई गई हो। ऐसे बोलीकर्ता(ओं) को उनके द्वारा प्रदान किए गए वैध ई-मेल पर भाग-II मूल्य बोली खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी। **नोट:** निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सर्वोत्तम दरों की पेशकश करें। इसमें समान्यतः आगे कोई मोल-भाव नहीं किया जाएगा। इसलिए कृपया मूल्य बोली जमा करते समय अपनी सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतें प्रस्तुत करें। तथापि, यदि मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दर उचित प्रतीत होती है, तो आदेश सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया जा सकता है और यदि दर को तब भी अधिक माना जाता है, तो प्रचलित अनुदेश/ दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
3.	निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।
4.	विक्रेताओं को बोली मंच पर 'दस्तावेज़ संलग्न करें' लिंक का उपयोग करके दस्तावेज़ लाइब्रेरी में अपने संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। एक से अधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एक दस्तावेज़ की अधिकतम साइज़ 4 एमबी निर्धारित की गई है। अधिक सहायता के लिए, कृपया विक्रेता गाइड के निर्देशों का पालन करें। लेन-देन शुल्क के बारे में विशेष नोट: विक्रेता लॉगिन में "माई मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान किया जाना है। विक्रेताओं को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से अपेक्षित निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। विक्रेता चालान में बदलाव किए बिना चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/ डेबिट कार्ड/ नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में भुगतान जमा होने के बाद लेनदेन शुल्क स्वतः प्राधिकृत हो जाएगा, और विक्रेता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। लेनदेन शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा। लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना वेंडर के पास ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंचने का विकल्प नहीं होगा। नोट - बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इवेंट के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से जमा कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल सके।

5.	रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रक्रिया के दौरान बोलीकर्ता(ओं) को सभी नोटिस और पत्राचार केवल ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे। इसलिए बोलीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके द्वारा प्रदान की गई कॉर्पोरेट ई-मेल आईडी वैध है और एमएसटीसी (अर्थात सेवा प्रदाता) पोर्टल पर विक्रेता के पंजीकरण के चरण में अद्यतन की गई है। बोलीकर्ताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित कर लें।
6.	**(ए)** कृपया ध्यान दें कि एनआईटी में उल्लिखित वेबसाइट से निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड करते समय आवेदाओं को पक्षों को सूची निकालने का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार, बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे निविदा खोलने की नियत तारीख से पहले एक बार फिर वेबसाइट देखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड करने के बाद उक्त निविदा के लिए अपलोड किया गया कोई भी शुद्धिपत्र उनसे छूट न गया हो। संबंधित शुद्धिपत्र को डाउनलोड करने की जिम्मेदारी, यदि कोई हो, डाउनलोड करने वाले पक्षों की होगी। **(बी)** इस एनआईटी के शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के संबंध में कोई अलग सूचना निविदाकर्ता(ओं) को नहीं भेजी जाएगी, जिन्होंने वेबसाइट से दस्तावेज डाउनलोड किए हैं। कृपया एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi देखें।
7.	एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।
8.	**ई-टेंडर में बोली लगाना:** (ए) बोलीकर्ताओं को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी (एनईएफटी के माध्यम से) जमा करने की आवश्यकता है। **ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा**। असफल बोलीकर्ता(ओं) के ईएमडी को कार्य सौंपे जाने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद द्वारा वापस कर दिया जाएगा। (बी) इस प्रक्रिया में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है। जिन बोलीकर्ताओं ने उपर्युक्त शुल्क जमा कर दिया है, केवल वे ही एमएसटीसी की वेबसाइट में इंटरनेट के जरिये अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोली ही निम्नानुसार प्रस्तुत कर सकते हैं: www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट→ नया सामान्य पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर→लाइव इवेंट→लाइव इवेंट का चयन→लेनदेन शुल्क>सामान्य शर्तें-दस्तावेज़ संलग्न करें->मूल्य बोली। कृपया ध्यान दें: लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, विक्रेता के लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शर्तें टैब सक्षम होगा। इस चरण के सफल समापन के बाद, विक्रेताओं को लॉट संबंधी विशिष्ट शर्तों को सेव करने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल को डाउनलोड और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि संलग्न किए गए दस्तावेज़ और/ अथवा सामान्य शर्तों को सेव करने का चरण असफल रहता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सेव करने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब को अक्षम (डिसेबल) कर दिया जाएगा। सफल/ लंबित बोली की स्थिति 'बोली की स्थिति' बटन में प्रदर्शित की जाएगी। (सी) सबसे पहले, विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो, भरना होगा और इसे सेव करना होगा। फिर विक्रेता को तकनीकी-वाणिज्यिक बोली को भरना होगा। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीकर्ता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद, 'मूल्य बोली' लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना अपेक्षित होता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। फिर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों को सेव कर लेने के बाद, बोलीकर्ता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

	नोट: - 'फाइनल सबमिशन' पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएं" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना और उसे फिर से सबमिट करना आवश्यक है और उसे फिर से फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना होगा। (डी) सभी मामलों में, बोलीकर्ता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। (ई) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीकर्ता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे। (एफ़) ई-टेंडर फ्लोर पूर्व घोषित तिथि और समय से तथा ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा। (जी) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीकर्ता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीकर्ता द्वारा दी गई वैध बोली माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति/ कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीकर्ता के बीच एक बाध्यकारी संविदा का निर्माण करेगी। ऐसे सफल निविदाकर्ता को इसके बाद **आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार कहा जाएगा।** (एच) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां श्रेणी-III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। (आई) खरीददार (बैंक) के पास बिना कोई कारण बताए इस निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने, जैसा भी मामला हो, का अधिकार सुरक्षित है। (जे) ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीकर्ता द्वारा ई-टेंडर में बोली लगाना अर्थात उक्त ई-टेंडर के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों की उसके द्वारा की गई स्वीकृति की पुष्टि माना जाएगा। (के) माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा फ्लोर में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा फ्लोर/ निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।
9.	इस खुली ई-निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा।
10.	तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं है।
11.	ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद, बोलीकर्ता डिजिटल हस्ताक्षर के साथ बोली जमा करने के बाद निविदा को एक्सेस नहीं कर सकता है।
12.	बैंक के पास बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को आगे बढ़ाने का अधिकार है।
13.	ऑनलाइन निविदा एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi में निर्धारित नियमों और शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।
14.	बोलीकर्ता(ओं) को एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अपलोड किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा जो एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
15.	बोली का मूल्यांकन भरे हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा
16.	बोलीकर्ता(ओं) द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो चूक करने वाले बोलीकर्ता(ओं) की ईएमडी ज़ब्त कर ली जाएगी। चूक करने वाले बोलीकर्ताओं के विरुद्ध निलंबन और कारोबार पर प्रतिबंध सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

खंड IV

निविदा का प्रपत्र

स्थान___________ तारीख ________

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक,
अहमदाबाद - 380009

महोदय,

हमने निविदा दस्तावेज आरबीआई/अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/1/26-27/ईटी/83 में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, अनुदेशों और शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच की है और निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा किया है और जांच की है और संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त की है जो निविदा को प्रभावित कर सकती है। मैं/हम एतद्द्वारा निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट कार्यों को निर्दिष्ट समय के भीतर और भाग II (मूल्य बोली) में उल्लिखित दरों पर और विनिर्देशों, निर्देशों और शर्तों में संदर्भित विनिर्देशों और निर्देशों के साथ सभी मामलों में और अन्य सभी मामलों में, ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं, निष्पादित करने की पेशकश करते हैं।

ज्ञापन (मेमोरेंडम)

क्र.सं.	**विवरण**	**निविदा का ब्यौरा**
1.	कार्यों का विवरण	निविदाकर्ता पर्याप्त मोटाई के धातु बॉडी वाले 9 मीट्रिक टन के (10 वर्ष से अधिक पुराने न हो ऐसे) पूरी तरह से ढके हुए और बंद नकदी वैन/ कंटेनर ट्रकों/ बंद वाहनों की पर्याप्त संख्या (न्यूनतम पांच) की आपूर्ति करेगा, ये वाहन मुख्यतः सुरक्षित टैंपर प्रूफ डबल लॉकिंग व्यवस्था के साथ बुलेट/ टैंपर प्रूफ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के साथ सक्षम, यात्री और कार्गो कम्पार्टमेंट में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के साथ सक्षम, हूटर और अग्निशामक यंत्र के साथ वायरलेस मोबाइल संचार प्रणाली से लैस होने चाहिए, जो निम्नलिखित से बैग में पैक किए गए सिक्कों का परिवहन करेंगे - (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्ट को या भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान से वाहक के जोखिम पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), अहमदाबाद को या इसके विपरीत क्रम में भी सिक्कों का परिवहन करेंगे। (बी) भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद या भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्ट से वाहक के जोखिम पर गुजरात से बाहर भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय या उस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्टों में या इसके विपरीत क्रम में भी सिक्कों का परिवहन करेंगे।

2.	संविदा का अनुमानित मूल्य	31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए जीएसटी सहित प्रति वर्ष **₹93,00,000** (रुपये तिरानवे लाख मात्र)
3.	बयाना जमा राशि (ईएमडी)	**₹1,86,000** (एक लाख छियासी हज़ार रुपये मात्र) की ईएमडी नीचे उल्लिखित खाते में जमा की जाएगी: **खाते का नाम: Reserve Bank of India Ahmedabad** **खाता संख्या. 186003001** **आईएफएससी: RBIS0AHPA01** (5वां और 10वां अंक शून्य (0) पढ़ा जाए) **ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।**
4.	निष्पादन बैंक गारंटी / सुरक्षा जमा राशि (चयनित ठेकेदार पर लागू)	**₹2 करोड़** के समतुल्य राशि की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) / सुरक्षा जमा राशि जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संविदा प्रदान किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी करने के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। **सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।**
5.	ईएमडी जमा करने का तरीका	एनईएफटी
6.	कार्यों के दायरे का निष्पादन	कार्य के प्रारम्भ से लेकर 31 मार्च 2028 तक।

2. मैं / हम इससे भी सहमत हैं कि हमारी बोली, बोली के भाग-I के खोले जाने की तारीख से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकार के लिए वैध रहेगी और इस वैधता अवधि को बैंक और मैं/ हमारे बीच लिखित रूप से पारस्परिक रूप से सहमत किसी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि यह बोली स्वीकार की जाती है, तो मैं/ हम या मेरे उत्तराधिकारी, या प्राधिकारी, या नामित व्यक्ति इससे सहमत हैं कि मैं/ हम बोली की सभी शर्तों और नियमों का पालन करेंगे और उन शर्तों को पूर्ण करेंगे और इसके अनुपालन में विफलता की स्थिति में, आप या आपके उत्तराधिकारी, या प्राधिकारी, या नामित व्यक्ति को बोली में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार निर्धारित राशि के साथ-साथ संविदा की लिखित स्वीकृति के अनुसार धनराशि ज़ब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

4. मैं/ हम समझते हैं कि आपके पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।

5. बोली ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से दो भागों में प्रस्तुत की गई है, अर्थात् भाग-I और भाग-II में।
भाग-I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें तथा तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग-II में केवल बैंक के प्रारूप में मूल्य बोली है।

दिनांक ....(माह) .... 2026 को।

मेसर्स ____ की ओर से और उनके लिए

(मुहर सहित हस्ताक्षर)
पदनाम :
स्थान:
दिनांक:
(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता के पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित साक्ष्यांकित प्रति लिपि संलग्न की जानी चाहिए) ।

गवाह

1. हस्ताक्षर

नाम:

पता: ____

दिनांक:

2. हस्ताक्षर

नाम:

पता: ____

दिनांक :

खंड V

बोलीकर्ताओं को निर्देश ('सामान्य और विशेष शर्तों सहित')

1. निविदा का दायरा	भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद (जिसे इसके पश्चात "बैंक" कहा गया है) द्वारा पात्र बोलीकर्ताओं से ई-निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निविदाकर्ता निम्नलिखित की आपूर्ति करेगा – निविदाकर्ता पर्याप्त मोटाई के धातु बॉडी वाले 9 मीट्रिक टन के (10 वर्ष से अधिक पुराने न हो ऐसे) पूरी तरह से ढके हुए और बंद नकदी वैन/ कंटेनर ट्रकों/ बंद वाहनों की पर्याप्त संख्या (न्यूनतम पांच) की आपूर्ति करेगा, ये वाहन मुख्यतः सुरक्षित टैंपर प्रूफ डबल लॉकिंग व्यवस्था के साथ बुलेट/ टैंपर प्रूफ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के साथ सक्षम, यात्री और कार्गो कम्पार्टमेंट में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के साथ सक्षम, हूटर और अग्निशामक यंत्र के साथ वायरलेस मोबाइल संचार प्रणाली से लैस होने चाहिए, जो निम्नलिखित से बैग में पैक किए गए सिक्कों का परिवहन करेंगे – (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्ट को या भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान से वाहक के जोखिम पर भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को या इसके विपरीत क्रम में भी सिक्कों का परिवहन करेंगे। (बी) भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद या भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्ट से वाहक के जोखिम पर गुजरात से बाहर भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय या उस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित करेंसी चेस्टों में या इसके विपरीत क्रम में भी सिक्कों का परिवहन करेंगे।
2. निषिद्ध प्रथाएं	बैंक यह अपेक्षा करता है कि निविदाकर्ता, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, जो बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखते हैं, वे संविदा/ कार्य की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक: (ए) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई शर्तों को निषिद्ध प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है: i. "भ्रष्ट आचरण": खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ के बदले में या अन्यथा खरीद प्रक्रिया या संविदा निष्पादन को प्रभावित करने के लिए रिश्वत, पुरस्कार या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की पेशकश, अनुरोध या स्वीकृति देना; ii. "धोखधड़ीपूर्ण आचरण": कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किए जा सकें, या दायित्व से बचा जा सके। इसमें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या संविदा सुरक्षित करने या संविदा के निष्पादन के लिए झूठी घोषणा करना या गलत जानकारी प्रदान करना शामिल है। iii. "बलपूर्वक व्यवहार": खरीद प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने या संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए व्यक्तियों या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। iv. "प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार": दो या दो से अधिक बोलीकर्ताओं के बीच, खरीद करने वाली संस्था की जानकारी से या उसके बिना, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के दायरे में आने वाली किसी प्रकार की मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवस्था, या कोई अन्य प्रथा, जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित कर सकती है या कृत्रिम, गैर-प्रतिस्पर्धी स्तरों पर बोली मूल्य स्थापित कर सकती है।

	v. "हित टकराव": एक बोली फर्म या उसके किसी भी सहयोगी द्वारा भागीदारी जो या तो परामर्श संविदा में शामिल हैं, जिससे यह खरीद जुड़ी हुई है; या यदि वे खरीद में एक से अधिक बोली का हिस्सा हैं; या यदि बोली लगाने वाली फर्म या उनके कर्मियों के पास खरीद इकाई के किसी भी अधिकारी के साथ संबंध या वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा की निविदा या निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित हैं; या खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने या व्यक्तिगत लाभ के लिए खरीद इकाई से (संभावित) बोलीकर्ता द्वारा प्राप्त जानकारी का अनुचित उपयोग; vi. "अवरोधक व्यवहार": उपर्युक्त निषिद्ध प्रथाओं में से एक या अधिक के आरोपों में खरीद करने वाली संस्था की जांच को या तो जानबूझकर नष्ट करके, गलत बताकर, बदलकर; या जांच के लिए साक्ष्य सामग्री को छिपाकर; या जांचकर्ताओं को झूठे बयान देकर और/ या किसी भी पक्ष को जांच से संबंधित मामलों के अपने ज्ञान को प्रकट करने या जांच को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए धमका कर, परेशान करके या डराकर; या खरीद इकाई के ऑडिट या सूचना तक पहुंच के अधिकारों को रोककर खरीद ईकाई की जांच में बाधा डालता है; (बी) संविदा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि बैंक यह निर्धारित करता है कि अवार्ड के लिए अनुशंसित निविदाकर्ता ने विचाराधीन निविदा में प्रतिस्पर्धा करने के लिए निषिद्ध व्यवहार किया है; (सी) निविदाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए या निश्चित अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि, किसी भी समय, बैंक यह निर्धारित करता है कि निविदाकर्ता संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में निषिद्ध व्यवहार में संलग्न है;
3. पात्रता मानदंड	निविदाकर्ताओं को अनुभवी, साधन संपन्न और वित्तीय रूप से मजबूत और लाइसेंस प्राप्त इकाई (कंपनी/ साझेदारी/ मालिकाना फर्म, आदि) होना चाहिए और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए: (ए) बोलीकर्ता के पास केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रमों/ राष्ट्रीयकृत बैंकों/ प्रतिष्ठित संगठनों के लिए समान प्रकार की सेवाओं (समान कार्य का अर्थ है कि एकल निविदा/ संविदा के तहत निष्पादित प्रत्येक समान पूर्ण कार्य) का कम से कम तीन साल का अनुभव (बोली खोलने से पहले मार्च के महीने में समाप्त) होना चाहिए। सेवा की अवधि के साथ ऐसे केंद्रीय/ राज्य/ सार्वजनिक उपक्रमों/ राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची के साथ प्रदान की गई सेवाएं प्रस्तुत की जाएंगी। (बी) बोलीकर्ता ने पिछले तीन वर्षों में समान प्रकार की सेवाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित/ पूरा किया होना चाहिए: i. तीन समान पूर्ण सेवाएं जिसमें प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% (चालीस प्रतिशत) की राशि से कम नहीं हो; अथवा ii. दो समान पूर्ण सेवाएं जिसमें प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% (पचास प्रतिशत) की राशि से कम नहीं हो; अथवा iii. एक समान पूर्ण सेवा जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) की राशि से कम नहीं हो। (सी) पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान संविदा की **अनुमानित लागत का कम से कम 30%** का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित हो।

	(डी) नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार सकारात्मक निवल मूल्य। निविदाकर्ता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। (ई) पर्याप्त मोटाई के धातु बॉडी वाले 9 मीट्रिक टन क्षमता (10 वर्ष से अधिक पुराना न हो) की पूरी तरह से कवर की हुई बंद नकदी वैन/कंटेनर ट्रक/बंद वाहन (न्यूनतम पांच), जो मुख्यतः सुरक्षित टैंपर प्रूफ डबल लॉकिंग व्यवस्था के साथ बुलेट/ टैंपर प्रूफ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के साथ सक्षम, यात्री और कार्गो कम्पार्टमेंट में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के साथ सक्षम, हूटर और अग्निशामक यंत्र के साथ वायरलेस मोबाइल संचार प्रणाली से लैस होंगे। (एफ़) निविदाकर्ता के पास कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) और वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) होनी आवश्यक है। (जी) यदि संविदा को सफलतापूर्वक प्रदान कर दिया जाता है तो निविदाकर्ता के पास संविदा के निष्पादन के लिए अहमदाबाद के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर एक कार्यालय/ स्थानीय प्रतिनिधि होना आवश्यक है। (एच) निविदाकर्ता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खाता रखेगा। बैंक का नाम और रखे गए खाते की प्रकृति बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए। "**समान सेवाएँ**" का अर्थ होगा ऐसी सेवाएँ जो निविदाकर्ता द्वारा मुद्रा नोटों के बक्सों और/अथवा सिक्कों की थैलियों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूर्णतः कवर की हुई बंद नकदी वैन/ कंटेनर ट्रकों/ बंद वाहनों की आपूर्ति हेतु केंद्रीय/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ राष्ट्रीयकृत बैंकों/ प्रतिष्ठित संगठनों को प्रदान की गई हों। किसी भी निविदाकर्ता के पूर्व कार्य अनुभव को निविदा दस्तावेज़ में दिए गए पात्रता मानदंड के अंतर्गत समान प्रकृति के कार्य के रूप में माना जाए या नहीं, इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद का निर्णय अंतिम और सभी निविदाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा। **नोट**: निविदाकर्ताओं को अपनी आवश्यक योग्यता/ पात्रता के दावों के समर्थन में दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। बोलीकर्ता द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों की जाँच की जाएगी। जाँच के दौरान यदि बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है, तो संबंधित चूक करने वाले बोलीकर्ता की ईएमडी की राशि ज़ब्त कर ली जाएगी तथा ऐसे चूक करने वाले बोलीकर्ता पर, विधि और बैंक के विवेकानुसार उपयुक्त समझे जाने पर, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और बैंक ऐसे बोलीकर्ता को भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से रोक भी सकता है।

4. निविदा दस्तावेज़ का संशोधन	**4.1** निविदाएँ जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी समय, बैंक आरबीआई वेबसाइट (www.rbi.org.in) / ई-पोर्टल पर संशोधन/शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज़ में संशोधन कर सकता है। जारी किए जाने वाले किसी भी संशोधन/ शुद्धिपत्र को इस दस्तावेज़ का हिस्सा माना जाएगा। **4.2** संभावित निविदाकर्ताओं को अपने निविदा दस्तावेज़ तैयार करते समय किसी भी/ सभी संशोधनों/शुद्धिपत्र पर विचार करने के लिए उचित समय देने हेतु, बैंक अपने विवेकानुसार निविदाएँ जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है। संशोधन केवल आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे और समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। बोलीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने हेतु कि वे किसी भी संशोधन से अवगत हैं, www.rbi.org.in तथा एमएसटीसी वेबसाइट को नियमित रूप से देखने की सलाह दी जाती है। जारी किए गए परिशिष्ट/ शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, संविदा दस्तावेज़ का हिस्सा होंगे।
(बी) निविदा को तैयार किया जाना	
5. निविदा की लागत	निविदाकर्ता अपनी निविदा की तैयारी और प्रस्तुतिकरण से संबंधित सभी व्यय स्वयं वहन करेगा**,** और बैंक उन व्ययों के लिए किसी भी स्थिति में**,** निविदा प्रक्रिया के व्यवहार या परिणाम की परवाह किए बिना**,** उत्तरदायी या दायित्वपूर्ण नहीं होगा।

6. निविदा में सम्मिलित दस्तावेज़	निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे: **दस्तावेज़ में अनुभागों का विवरण** खंड-I - निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) खंड-II - निविदा का कार्यक्रम (SOT) खंड-III - ई-प्रोक्योरमेंट हेतु महत्वपूर्ण निर्देश खंड-IV - निविदा प्रपत्र खंड-V - बोलीकर्ताओं के लिए निर्देश ('सामान्य एवं विशेष शर्तों' सहित) खंड-VI - भाग I – तकनीकी बोली प्रपत्र खंड-VII - दस्तावेज़ों की सूची खंड-VIII - भाग-I (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन खंड-IX - भाग II – मूल्य बोली अनुलग्नक ए – दस्तावेज़ों का प्रारूप
7. निविदा पत्र	निविदाकर्ता को ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर (श्रेणी-III) का उपयोग करके बिना किसी परिवर्तन के निविदा प्रस्तुत करनी होगी। सभी रिक्त स्थानों को अपेक्षित जानकारी से भरा जाएगा।
8. निविदाकर्ता की पात्रता तय करने वाले दस्तावेज़	निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार संविदा पूरा करने के लिए अपनी पात्रता को स्थापित करने हेतु, निविदाकर्ता को निविदा प्रस्तुत करते समय सभी निर्दिष्ट दस्तावेज़/ रिकॉर्ड/ सूचनाएँ प्रस्तुत करनी होंगी।
9. निविदा की वैधता अवधि	निविदा बैंक द्वारा स्वीकृति हेतु निविदा के भाग-I को खोले जाने की तिथि से 90 दिनों की अवधि तक वैध रहेगी और उसे परस्पर सहमति से तय की गई किसी विशिष्ट अवधि तक आगे बढ़ाया जा सकता है। **इस अवधि के दौरान निविदाकर्ता द्वारा निविदा वापस लेने की स्थिति में, ईएमडी ज़ब्त कर ली जाएगी।** निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरें संविदा की अवधि 31 मार्च 2028 तक स्थिर रहेंगी।

10. बयाना जमा राशि (ईएमडी)	**10.1** निविदाकर्ताओं को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए आवश्यक बयाना जमा राशि (ईएमडी) और लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क अप्रतिदेय है। ईएमडी राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा इस प्रक्रिया में असफल रहे विक्रेता(ओं) की ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी। **निम्नलिखित स्थिति में ईएमडी राशि ज़ब्त कर ली जाएगी:** (ए) यदि विक्रेता/ ठेकेदार वाणिज्यिक बोली खोलने के बाद अपनी बोली वापस ले लेता है अथवा (बी) यदि निविदाकर्ता, निविदा प्रस्तुत करने के बाद, अपने प्रस्ताव से विचलित होता है या उसकी शर्तों एवं नियमों में संशोधन करता है या (सी) यदि विक्रेता / ठेकेदार उसे / उन्हें प्रदान किए गए कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रारंभ करने में विफल रहता है। **10.2 ₹1,86,000/- (एक लाख छियासी हज़ार रुपये मात्र)** की बयाना जमाराशि (ईएमडी) भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद में एनईएफटी के माध्यम से जमा की जानी है। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 अपराह्न 05:00 बजे तक है। एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी राशि जमा करने हेतु बैंक खाता और अन्य विवरण इस प्रकार हैं: बैंक खाता संख्या: 186003001 आईएफएससी: RBIS0AHPA01 (इसमें 5वाँ और 10वाँ अंक शून्य (0) पढ़ा जाए) **10.3** बिना ईएमडी राशि के जमा की गई कोई भी निविदा अस्वीकृत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई निविदाकर्ता ईएमडी को एनआईटी में निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद जमा करता है, तो उसकी निविदा शून्य और अमान्य मानी जाएगी तथा निविदा के भाग-I के उद्घाटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। **10.4** सफल निविदाकर्ता की ईएमडी राशि एक अपरिवर्तनीय प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) / सुरक्षा जमाराशि **₹2,00,00,000** (रुपये दो करोड़ मात्र) भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के पक्ष में सुरक्षा जमा के रूप में कार्य प्रदान किए जाने के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने पर समाप्त मानी जाएगी, जैसा कि निविदा दस्तावेज़ के 'सामान्य और विशेष शर्तें' भाग के पैरा 'बी' में निर्दिष्ट शर्तों तथा निविदा दस्तावेज़ के अंत में प्रदत्त 'प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रारूप' में वर्णित है। सफल निविदाकर्ता इसके बजाय, भारतीय रिज़र्व बैंक को **₹2,00,00,000** (रुपये दो करोड़ मात्र) की सुरक्षा जमाराशि जमा कर सकता है। **सुरक्षा जमाराशि पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।** **10.5** यदि निविदा आमंत्रण प्रक्रिया को बैंक द्वारा वापस लिया जाता है या रद्द किया जाता है, जिसे किसी भी समय ऐसा करने का अधिकार है, तो ईएमडी को वापिस कर दिया जाएगा। यदि सफल निविदाकर्ता पीबीजी/ सुरक्षा जमाराशि प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई ईएमडी ज़ब्त कर ली जाएगी। यह कार्रवाई इस तथ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जाएगी कि वह इसके परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी आगे के नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी रहेगा।

(सी). निविदा प्रस्तुत किया जाना एवं उसे खोला जाना

11.बोली-पूर्व बैठक	**11.1** निविदा संबंधी संक्षिप्त जानकारी के लिए इच्छुक निविदाकर्ताओं की निविदा-पूर्व संक्षिप्त बैठक 04 जून 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद कार्यालय के निर्गम विभाग में आयोजित की जाएगी, ताकि निविदा के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/ जिज्ञासा का समाधान किया जा सके। इस बैठक के लिए कोई अलग पत्र / सूचना नहीं भेजी जाएगी। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपने हित में बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुशंसा की जाती है। **11.2** बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त केवल आरबीआई की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और इसे निविदा दस्तावेज़ का हिस्सा माना जाएगा। **11.3** यदि बोलीकर्ताओं को सामान्य शर्तों, विशेष शर्तों, कार्य के दायरे या निविदा से संबंधित किसी अन्य विषय के किसी भाग के अर्थ के बारे में कोई संदेह है, तो उन्हें बोली-पूर्व बैठक की निर्धारित तिथि और समय से पहले उचित समय में आरबीआई को ई-मेल आईडी svsalunke@rbi.org.in और cpsumath@rbi.org.in पर या लिखित रूप में निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को संबोधित करते हुए प्रश्न प्रस्तुत करना होगा, ताकि ऐसे संदेहों को बोली-पूर्व बैठक के दौरान प्रामाणिक रूप से स्पष्ट किया जा सके और सभी बोलीकर्ताओं को समय पर सूचित किया जा सके। **11.4** किसी भी विचलन/ किसी शर्त के साथ प्राप्त निविदा अस्वीकृति के लिए पात्र होगी। बोली-पूर्व बैठक के बाद कोई भी संदेह/ स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12.निविदाओं की प्रस्तुति, सील एवं उन्हें चिन्हित किया जाना	**12.1** इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ताओं को ई-निविदा से संबंधित निर्देशों में बताई गई इलेक्ट्रॉनिक ई-निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। **12.2** निविदाकर्ता अपनी तकनीकी बोली (भाग-I) निर्धारित प्रारूप में, निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट दस्तावेज़ों की सूची के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियों के साथ तथा वित्तीय बोली (प्रतिस्पर्धी दरें) निर्धारित प्रारूप (भाग-II) में प्रस्तुत करें। सभी सूचनाओं सहित ई-निविदा अंतिम तिथि पर या उससे पूर्व निर्धारित समय तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। **12.3** यदि अपेक्षित / निर्धारित जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो निविदा अस्वीकृत की जाएगी, जिसकी कोई जिम्मेदारी बैंक नहीं लेगा।
13. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	**13.1** इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निविदाओं को ऑनलाइन भरा जाना आवश्यक है, जो इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट तिथि और समय से बाद में नहीं होना चाहिए। **13.2** बैंक अपने विवेकाधिकार पर निविदा दस्तावेज़ में संशोधन करके निविदाओं की प्रस्तुति की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा सकता है।
14. विलंबित निविदाएँ	निर्धारित अंतिम तिथि के बाद ई-पोर्टल पर कोई भी निविदा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।
15. निविदा खोला जाना	बैंक निर्दिष्ट तिथि पर निविदा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोलेगा।
(डी) निविदाओं का परीक्षण	
16. गोपनीयता	निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकर्ताओं या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो इस प्रक्रिया से आधिकारिक रूप से संबंधित न हो, तब तक प्रकट नहीं की जाएगी जब तक कि संविदा प्रदान किए जाने की सूचना सभी निविदाकर्ताओं को संप्रेषित न कर दी जाए।

17. निविदाओं का स्पष्टीकरण	**17.1** निविदाओं का परीक्षण, मूल्यांकन, तुलना तथा निविदाकर्ताओं की योग्यता में सहायता हेतु, बैंक अपने विवेकाधिकार पर किसी भी निविदाकर्ता से उसकी निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकता है, जिसके लिए उत्तर देने हेतु उचित समय दिया जाएगा। बैंक के अनुरोध के जवाब पर दिये गए स्पष्टीकरण से भिन्न कोई भी स्पष्टीकरण विचाराधीन नहीं होगा। बैंक का स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध तथा उसका उत्तर लिखित रूप में होगा। निविदाओं के मूल्यांकन में बैंक द्वारा खोजी गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि को छोड़कर, निविदा की कीमतों या उसके सार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न तो मांगा जाएगा, न ही प्रस्तुत किया जाएगा और न ही बैंक द्वारा इसकी अनुमति दी जाएगी। **17.2** यदि कोई निविदाकर्ता बैंक के स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

(ई) निविदा का मूल्यांकन एवं तुलना	
18. निविदाकर्ता की पात्रता	बैंक अपनी संतुष्टि के अनुसार यह निर्धारित करेगा कि चयनित निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज़ की 'निविदाकर्ता हेतु निर्देश' तथा सामान्य और विशेष शर्तों के अनुरूप पात्रता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं।
19. निविदाओं की संवीक्षा / मूल्यांकन	निविदाएँ दो भागों में होंगी, अर्थात् भाग-। "**तकनीकी बोली**" और भाग-॥ "**मूल्य बोली**", जिन्हें ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से अलग-अलग प्रस्तुत किया जाएगा। (ए) भाग-। **तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तों** पर आधारित होगा, जिसे निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है: i. एनईएफटी के माध्यम से **₹1,86,000/- (एक लाख छियासी हज़ार रुपये मात्र)** की बयाना जमा राशि (ईएमडी) जमा करना। इस जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ii. कंपनी/ फर्म की मुहर सहित उस व्यक्ति के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी/ प्राधिकार पत्र, जो निविदा दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर कर रहा है। iii. निविदा के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज़ी साक्ष्य और दस्तावेज़। iv. यह घोषणा कि निविदाकर्ता किसी भी बैंक/ वित्तीय संस्था का इरादतन चूककर्ता नहीं है और कंपनी/ व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। v. मूल्य विभाजन अनुसूची (प्राइज़ ब्रेक अप शेड्यूल) के अनुसार सभी घटकों की सूची सहित मास्क की हुई सांकेतिक मूल्य सूची, जिसमें कोई मूल्य अंकित नहीं होगा। vi. कोई अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता हो। (बी) भाग-॥, जिसमें "**मूल्य बोली**" सम्मिलित होगी, को अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें केवल भारतीय रुपये में मूल्य, विस्तृत मूल्य-विभाजन सहित, **भाग-॥** में निर्दिष्ट प्रारूप में अंकों में दिया जाना चाहिए। **भाग-॥** में अन्य कोई संलग्नक स्वीकार्य नहीं होगा। उद्धृत दरें पूर्ण कार्य के लिए मानी जाएंगी और किसी भी प्रकार की वृद्धि के बिना स्थिर एवं बाध्यकारी होंगी। **उद्धृत दरें जीएसटी को छोड़कर होंगी, परंतु विक्रेता के सभी शुल्क (जैसे टोल या अन्य परिचालन/ स्थायी शुल्क) तथा केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अन्य लागू कर एवं शुल्क सम्मिलित होंगे।** सी) निविदाओं का भाग-। निविदाकर्ताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो उपस्थित रहना चाहते हैं, की उपस्थिति में खोला जाएगा। डी) निविदाओं की प्रारंभिक संवीक्षा की जाएगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे

	पूर्ण हैं और निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट आवश्यक एवं महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करती हैं या नहीं। जो निविदाएँ मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं करतीं, उन्हें अनुत्तरदायी मान कर उन पर विचार नहीं किया जाएगा। ई) केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की मूल्य बोली (भाग-II) खोली जाएगी, जिनके निविदा का भाग-I दस्तावेज़ो की संवीक्षा के बाद पात्र साबित होगा। एफ़) बैंक उस निविदाकर्ता/ निविदाकर्ताओं को संविदा प्रदान करेगा, जिसकी बोली निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप पर्याप्त रूप से उत्तरदायी पाई जाएगी और जिसने/ जिन्होंने सभी घटकों के मूल्य को ध्यान में रखते हुए अनुमानित मूल्य के सापेक्ष उचित बोली मूल्य प्रस्तुत किया होगा, ताकि एल-1 (न्यूनतम बोलीकर्ता) निर्धारित किया जा सके। जी) निविदाओं का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज़ में पहले से सम्मिलित शर्तों एवं नियमों के आधार पर किया जाएगा, जिनके आधार पर निविदाकर्ताओं से निविदाएँ प्राप्त हुई हैं। निविदाओं की संवीक्षा और मूल्यांकन के दौरान कोई नई शर्त नहीं जोड़ी जाएगी। एच) कार्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक को यह स्वतंत्रता होगी कि वह न्यूनतम बोली वाली निविदा या किसी भी निविदा को अस्वीकार करे और निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में, पूर्ण या आंशिक रूप से, बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखे। आई) उद्धृत दरों में से न्यूनतम दर को एल-1 माना जाएगा और कार्य एल-1 बोलीकर्ता को प्रदान किया जाएगा। यदि दो या अधिक विक्रेता समान दर उद्धृत करते हैं, तो पिछले तीन वर्षों का औसत कारोबार अधिक रखने वाली फर्म को L-1 माना जाएगा।
20. निविदा स्वीकार करना अथवा किसी/ सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार	बैंक को न्यूनतम बोली या किसी भी निविदा को स्वीकार न करने की स्वतंत्रता होगी और उसे किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने, निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा प्रदान किए जाने से पूर्व किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, बिना इसके कि उसे निविदार्ताओं के प्रति कोई दायित्व हो या इसके लिए कोई कारण बताया जाए। इसके अतिरिक्त, सशर्त बोलियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(एफ़) संविदा प्रदान करना, उसका प्रारंभ एवं नवीकरण	
21. संविदा-प्रदान करना	बैंक से निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर सफल निविदाकर्ता संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज़ में दिए गए निर्देशों/ शर्तों तथा दर अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के भीतर बैंक के साथ करार पर हस्ताक्षर करेगा। सफल निविदाकर्ता को 'विक्रेता' या 'ठेकेदार' कहा जाएगा। स्टैम्प पेपर की लागत सफल निविदाकर्ता द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।
22. संविदा की अवधि एवं नवीकरण	**22.1** प्रदान की गई संविदा को 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए प्रदान किया गया माना जाएगा, जिसे संविदा की शर्तों एवं नियमों के संतोषजनक पालन के अधीन, आपसी सहमति से शर्तों एवं नियमों में परिवर्तन के साथ या उसके बिना, एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। **22.2** जब संविदा की अवधि समाप्त होने वाली होगी, तो संविदा के विस्तार पर बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है। वर्तमान संविदा की समाप्ति से तीन माह पूर्व, ठेकेदार को लिखित रूप में बैंक को सूचित करना होगा कि वह मौजूदा शर्तों एवं नियमों पर संविदा को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक है अथवा नहीं।

सामान्य एवं विशिष्ट शर्तें:

(ए) सामान्य शर्तें:

i. बैंक निविदा दस्तावेज़ की पूर्णता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ii. उद्धृत दरों के अंकों और शब्दों में किसी भी अंतर की स्थिति में, निविदा के मूल्यांकन हेतु शब्दों में लिखी गई दर को मान्य माना जाएगा।

iii. निविदाकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा दस्तावेज़ में दिए गए सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विनिर्देशों का परीक्षण करे। निविदा दस्तावेज़ में अपेक्षित सभी/ किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफलता निविदा की अस्वीकृति का कारण बन सकती है।

(बी) सुरक्षा जमा राशि / परफॉर्मेंस बैंक गारंटी

i) निविदाकर्ता/ निविदाकर्ताओं को एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से **₹2,00,00,000** (रुपये दो करोड़ मात्र) की अपरिवर्तनीय प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीजीजी) भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के पक्ष में प्रस्तुत करनी होगी, जो परिवहन किए जा रहे धन के मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगी, अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक को **₹2,00,00,000** (रुपये दो करोड़ मात्र) की सुरक्षा जमा राशि जमा करनी हगी। **सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।**

ii) प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) पूरे संविदा काल के दौरान संविदा के उचित निर्वहन हेतु होगी तथा बैंक को होने वाले या संभावित किसी भी नुकसान या क्षति के विरुद्ध भी होगी। यदि संविदा का नवीनीकरण किया जाता है, तो ठेकेदार को विस्तारित बैंक गारंटी की व्यवस्था करनी होगी।

iii) बैंक प्रेषण की राशि के आधार पर बैंक गारंटी की राशि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ठेकेदार को अतिरिक्त राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

iv) अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण प्रस्तुतिकरण में विलंब होने की स्थिति में, पीबीजी प्रस्तुत करने में विलंब के लिए शुल्क ठेकेदार के बिलों से बैंक दर पर वसूल किए जाएंगे।

(सी) अयोग्यता / निविदाओं की अस्वीकृति की परिस्थितियाँ

i. निविदाकर्ता द्वारा या उसके पक्ष में किसी भी प्रकार की पैरवी करना अथवा उनके चयन के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने का प्रयास करना प्रक्रिया से अयोग्यता का कारण बनेगा। ऐसे निविदाकर्ता/ निविदाकर्ताओं को न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ब्लैक लिस्ट / प्रतिबंधित सूची में डाल दिया जाएगा। यदि ऐसे उदाहरण चयन प्रक्रिया के दौरान पता नहीं चल पाते हैं लेकिन बाद में पता चलते हैं, तो ऐसी अयोग्यता तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

ii. सभी निविदाएँ संलग्नकों/ संलग्न पत्रों/ अनुबंधों सहित पूर्ण रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए। अपूर्ण प्रपत्र, या निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त बोलियाँ, अथवा उचित दस्तावेज़ी प्रमाण के बिना प्राप्त बोलियाँ, बैंक द्वारा सीधे और बिना किसी सोच-विचार के अस्वीकार कर दी जाएंगी।

iii. एमएसटीसी पोर्टल के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएंगी और सीधे अस्वीकार कर दी जाएंगी। इस विषय पर कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

iv. निर्धारित ईएमडी/ प्रोसेसिंग शुल्क के बिना या उससे कम राशि के साथ प्राप्त बोली प्रस्ताव सीधे अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

v. नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाएँ सीधे अस्वीकार कर दी जाएंगी।

vi. सशर्त निविदाएँ तुरंत अस्वीकार कर दी जाएंगी और कोई अतिरिक्त शर्त स्वीकार नहीं की जाएगी।

vii. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी निविदा में संशोधन नहीं किया जा सकता। निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने तक, अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत निविदा को वापस नहीं लिया जा सकता। इस अवधि में निविदा वापस लेने पर

ईएमडी ज़ब्त कर ली जाएगी।

viii. वैकल्पिक प्रस्ताव / पूर्णता हेतु समय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(डी) ठेकेदार के कर्तव्य:

ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह संविदा की वैधता अवधि पूर्ण होने तक उसे सफलतापूर्वक निष्पादित करे। यदि ठेकेदार सौंपा गया कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो प्रदर्शन बैंक गारंटी लागू की जाएगी/ सुरक्षा जमा राशि ज़ब्त कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार को अपनी किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान से बैंक को क्षतिपूर्ति करनी होगी, जिसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

ठेकेदार को संविदा अवधि के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, अहमदाबाद के महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारी(यों) से इस संबंध में लिखित मांग प्राप्त होने के 12 घंटे के भीतर, सिक्कों से भरे थैलों के परिवहन हेतु पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराने होंगे। ऐसी मांग ठेकेदार को, ई-मेल, के माध्यम से दी जा सकती है। यदि परिवहन हेतु निर्धारित समय से कम से कम तीन घंटे पूर्व बैंक द्वारा मौखिक या लिखित रूप में एक अन्य सूचना जारी कर उक्त मांग को रद्द कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक ठेकेदार को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं करेगा।

i) आपातकालीन परिस्थितियों में, बैंक बारह घंटे के स्थान पर तीन घंटे की सूचना देकर भी वाहनों की मांग कर सकता है और ठेकेदार को उसका पालन करना होगा।

ii) दी गई सूचना का पालन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा, भले ही इसके लिए सामान्य कार्य समय से बाहर कार्य करना पड़े या ऐसे दिन पर कार्य करना पड़े जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित हों, जिसमें शनिवार और रविवार या इस संबंध में लागू अन्य प्रावधान सम्मिलित हैं।

iii) ठेकेदार किसी भी परिस्थिति में बैंक के मालवाहक वाहनों में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित/ से जुड़े हुए किसी सामान अथवा किसी भी वस्तु का परिवहन नहीं करेगा।

iv) सिक्कों से भरे थैले ठेकेदार को उसके स्वयं के जोखिम पर सौंपे जाएंगे। ठेकेदार को उनके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। ठेकेदार बैंक से परामर्श करके अपने खर्च पर सिक्कों का बीमा करा सकता है। यात्रा के दौरान किसी भी कारणवश बैंक को होने वाले नुकसान की भरपाई ठेकेदार करेगा। यह नुकसान ठेकेदार को देय बिलों से वसूल किया जाएगा और/ या ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन बैंक गारंटी को लागू करके वसूला जाएगा।

v) ठेकेदार को आवश्यक मार्ग परमिट प्राप्त करने होंगे और सभी संबंधित कर स्वयं चुकाने होंगे।

vi) ठेकेदार संविदा कार्य को आगे उप संविदा के रूप में किसी को सुपुर्द नहीं करेगा। वह संविदा का कोई भी भाग बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उप ठेके पर नहीं देगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर बैंक संविदा को समाप्त कर सकता है।

vii) वाहन के खराब हो जाने की स्थिति में, ठेकेदार को न्यूनतम समय में क्रेन/ स्टैंड बाय/ समान विनिर्देश वाले वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी ताकि धन-प्रेषण के कार्य में किसी प्रकार का विलंब न हो।

viii) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वाहनों के पास हर समय संबंधित आरटीओ द्वारा जारी वैध अनुमति, पंजीकरण पत्र, ऑल इंडिया परमिट, पीयूसी प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, अद्यतन कर भुगतान, बीमा कवर आदि उपलब्ध हों। ट्रक/ वाहनों के चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। ठेकेदार बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान, लागत, शुल्क और व्यय से क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को क्षतिपूर्ति करता रहेगा, जो उक्त परमिट, लाइसेंस, प्रमाणपत्र आदि की कमी के कारण बैंक को उठाना पड़े।

ix) बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु लगाए गए वाहनों का किसी भी समय निरीक्षण करे या निरीक्षण की व्यवस्था करे और किसी वाहन/ उपकरण को असुरक्षित घोषित कर उसके तत्काल संचालन से हटाने का निर्देश दे। ठेकेदार को इसका शीघ्र/ तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

x) बैंक का कार्य उचित, सावधानीपूर्वक, शीघ्र और पूरी दक्षता से किया जाना चाहिए। संपूर्ण कार्य/ गतिविधियाँ इस प्रकार संपन्न की जानी चाहिए कि सिक्कों के थैलों, बैंक के कर्मचारियों या अधिकारियों, बैंक की संपत्ति, सामान आदि तथा बैंक परिसर में उपस्थित आम जनता या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति न पहुँचे। निविदाकर्ता को उन ठेकेदारों

के साथ निकट समन्वय में कार्य करना होगा जो मज़दूर/ श्रमिक उपलब्ध कराएँगे।

xi) ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन दस वर्ष से कम पुराने, सड़क योग्य और अच्छी स्थिति में होने चाहिए। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि टायर और बैटरी की स्थिति भी अच्छी हो तथा वाहन में स्पीड गवर्नर और एसओएस बटन लगा हो। ये वाहन ठेकेदार के स्वामित्व वाले या लीज पर लिए गए हो सकते हैं। लीज पर लिए गए वाहनों के मामले में, ठेकेदार को ऐसा दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा जिससे यह स्पष्ट हो कि संविदा अवधि के दौरान लीज़ समाप्त नहीं होगी।

xii) ठेकेदार द्वारा दुर्घटना, आग, चोरी, डकैती, खजाने की लूट, पारगमन के दौरान या किसी दोषपूर्ण वाहन अथवा ठेकेदार के कर्मचारियों की अक्षमता/ लापरवाही के कारण बैंक को हुए किसी भी नुकसान या क्षति की भरपाई करनी होगी और उसे ऐसी क्षति के लिए बैंक को उचित राशि प्रतिपूर्ति करनी होगी।

xiii) यदि पात्र हो, तो ठेकेदार को बैंक को 'उद्यम प्रमाणपत्र' की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

xiv) ठेकेदार को वाहनों के नियमित रखरखाव अभिलेख बैंक को प्रस्तुत करने होंगे। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वाहन आवश्यक सुरक्षा उपकरणों सहित, जैसे अग्निशामक यंत्र, से सुसज्जित हों।

xv) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि इस समझौते के तहत कार्य करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त ड्राइवर शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन न करता हों। बैंक के परिसर में धूम्रपान, शराब पीना, तंबाकू या पान मसाला चबाना वर्जित है।

(ई) भुगतान एवं कर

बिल मासिक आधार पर प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रत्येक प्रेषण के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तुत बिलों के जमा होने के बाद भुगतान करते समय आयकर (TDS-IT), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (TDS-CGST), राज्य वस्तु एवं सेवा कर (TDS-SGST), एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (TDS-IGST) तथा अन्य लागू करों की कटौती, केंद्र/ राज्य सरकार के प्रचलित दिशा-निर्देशों/क़ानूनों के अनुसार, निर्धारित दरों पर की जाएगी।

i. ठेकेदार को प्रदत्त सेवाओं के लिए भुगतान इस करार की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर किया जाएगा। उक्त दरें स्थिर होंगी और पूरे संविदा काल में किसी भी परिस्थिति में बढ़ाई नहीं जा सकेंगी तथा ठेकेदार द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क का दावा नहीं किया जा सकेगा।

ii. **शुल्क केवल उन यात्राओं के लिए देय होंगे जिनमें भरी हुई नकद वैन / कंटेनर ट्रक / वाहन का आवागमन सम्मिलित हो।**

iii. संविदा मूल्य/ दर सर्वसमावेशी होगा, जिसमें स्थिर एवं परिचालन शुल्क सम्मिलित होंगे और यह कार्य के दायरे, उपलब्ध कराए जाने वाले वाहन पर आधारित होगा। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, चालकों एवं अन्य श्रमिकों का वेतन/ वर्दी/ भोजन/ भत्ते आदि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भुगतान, बोनस भुगतान, ग्रेच्युटी, बीमा एवं ओवरटाइम वेतन (यदि कोई हो), पार्किंग शुल्क, टोल गेट शुल्क एवं अन्य सभी कर/शुल्क सम्मिलित होंगे।

iv. लागू जीएसटी शुल्क ठेकेदार द्वारा अपने मासिक बिल में जोड़ा जा सकता है, जिसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार को बैंक द्वारा केंद्र/ राज्य सरकार के प्रचलित दिशा-निर्देशों/ क़ानूनों के अनुसार की जाएगी।

v. बैंक को यह अधिकार है कि बह भुगतान के बाद, भुगतान पश्चात लेखापरीक्षा या तकनीकी परीक्षण अथवा किसी अन्य माध्यम से पता चलने पर, किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान की वसूली कर सकता है।

vi. यदि इस संविदा के अंतर्गत किसी देयता के उत्पन्न होने पर कोई विवाद उभरता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभारी अधिकारी का निर्णय दोनों पक्षों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

vii. संविदा की शर्तों के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति या अन्य धनराशि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन बैंक गारंटी से अथवा ठेकेदार को देय या देय होने वाली अन्य किसी राशि से काट ली जाएगी।

(एफ़) विवाद समाधान प्रक्रिया तथा मध्यस्थता

i इस बात का निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस निविदा की शर्तों और नियमों पर उत्पन्न होने वाले किसी/ सभी विवादों के आमले में, निविदा दस्तावेज़ का अंग्रेजी संस्करण संदर्भ हेतु अंतिम माना जाएगा (यदि निविदा एक साथ अंग्रेजी

और किसी अन्य भाषा में जारी की जाती है)।

ii यदि बैंक और ठेकेदार/ प्रतिपक्ष के बीच संविदा या कार्य निष्पादन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षकारों को परस्पर चर्चा के माध्यम से, सद्भावना के साथ, उसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करना होगा। ऐसी चर्चा की सूचना किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने के दिन से 30 दिनों की अवधि के भीतर यह प्रयास किया जाना चाहिए।

iii यदि उपर्युक्त अवधि में सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं निकलता है, तो विवाद को 'मध्यस्थता या सुलह' के माध्यम से 'मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996' (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार संदर्भित किया जाएगा और सुलझाया जाएगा। मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा और संविदा पर लागू होगा। किसी भी कानूनी विवाद के निपटान हेतु वैकल्पिक समाधान विधियाँ केवल आपसी सहमति से ही अपनाई जा सकती हैं। तथापि, जो विवाद/ मुद्दे मध्यस्थता के माध्यम से नहीं सुलझाए जा सके, उनका कानूनी अधिकार क्षेत्र केवल अहमदाबाद होगा।

iv करार के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के/ सभी विवादों और मतभेदों को एकमात्र मध्यस्थ, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के क्षेत्रीय निदेशक के पास भेजा जाएगा और उनका लिखित निर्णय सेवा प्रदाता के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। हालाँकि, मध्यस्थता के माध्यम से न निपटाए गए किसी भी विवाद/ मुद्दे के लिए केवल अहमदाबाद का कानूनी क्षेत्राधिकार लागू होगा। पारस्परिक सहमति से ही किसी भी कानूनी विवाद को निपटाने के लिए वैकल्पिक निपटान के तौर-तरीकों का उपयोग किया जा सकता है।

(जी) अप्रत्याशित परिस्थितियाँ

इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, यदि किसी पक्ष की जिम्मेदारियों के निर्वहन में विलंब उसके उचित नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण होता है (जिसमें, बिना किसी सीमा के सरकार के कार्य, कोई ईश्वरीय घटना, प्राकृतिक या सामाजिक आपदाएँ, हड़ताल, किसी क्षेत्र में दंगे, नेटवर्क विफलता, आतंकवादी हमला, घोषित या अघोषित युद्ध शामिल हैं), तो ऐसे विलंब के लिए कोई भी पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। तथापि, यदि विलंब संबंधित आपूर्तिकर्ता के उचित नियंत्रण से बाहर नहीं है, तो उस पक्ष को विलंब के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा।

(एच) अस्वीकारण

i) यद्यपि इस दस्तावेज़ को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी निविदाकर्ताओं को स्वयं यह सुनिश्चित करना होगा कि दस्तावेज़ सभी दृष्टियों से पूर्ण है। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति पाई जाने पर इसकी सूचना तुरंत इस कार्यालय को दी जानी चाहिए। यदि निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि से 07 दिनों के भीतर किसी भी निविदाकर्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज़ सभी दृष्टियों से पूर्ण है।

ii) बैंक को यह अधिकार है कि वह इस दस्तावेज़ में, सभी प्रारूपों और परिशिष्टों सहित, संशोधन, परिवर्तन कर सकता है या इसमें अनुवर्ती बातें जोड़ सकता है।

iii) यद्यपि यह दस्तावेज़ सद्भावना से तैयार किया गया है, फिर भी बैंक अथवा उसके कर्मचारी या सलाहकार किसी भी कथन या चूक के संबंध में कोई प्रतिज्ञान या वारंटी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, नहीं देते और इस संबंध में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या देयता स्वीकार नहीं करते। इस दस्तावेज़ की शुद्धता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में किसी भी कानून, अधिनियम, नियम या विनियम के अंतर्गत बैंक पर कोई देयता नहीं होगी, भले ही किसी कार्य या चूक के कारण कोई हानि या क्षति हुई हो।

(आई) बैंक का अधिकार

i. बैंक को यह अधिकार है कि वह निविदा उपलब्धता की अवधि और/ या बोलियों के खोलने की तिथि को बढ़ा सके।

ii. बैंक को यह अधिकार है कि वह किसी भी/ सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सके अथवा योग्यता प्रक्रिया को बिना कोई देयता उठाए या कोई कारण बताए निरस्त कर सके।

iii. बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कार्य के दायरे को बिना कोई कारण बताए एक से अधिक एजेंसी/ एजेंसियों में बाँट सकता है। इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

iv. यहाँ निर्दिष्ट नियम और शर्तें सांकेतिक प्रकृति की हैं और ये बैंक को सफल बोलीकर्ता के साथ संविदा निष्पादन के समय ऐसे अन्य या अतिरिक्त नियम और शर्तें लगाने या उनसे सहमति प्राप्त करने से नहीं रोकतीं। बैंक आवश्यकतानुसार इन नियमों और शर्तों में परिवर्तन, संशोधन या विलोपन कर सकता है, ताकि निविदा के अंतर्गत

दिए जा रहे कार्य का उचित और सही निष्पादन सुनिश्चित हो सके।

v. ठेकेदार अथवा उसके एजेंट/श्रमिक/चालक यदि यहाँ उल्लिखित नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन करते हैं और/ या बैंक की राय में असंतोषजनक सेवाएँ प्रदान करते हैं, तो वे बिना किसी सूचना या क्षतिपूर्ति के दंड और/ अथवा संविदा की तत्काल समाप्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।

(जे) अयोग्यता / समाप्ति / दंड:

i. यदि कोई निविदाकर्ता स्वयं अथवा अपने पक्ष में किसी प्रकार की पैरवी करने का प्रयास करता है या बैंक के जाँच, तुलना, मूल्यांकन और संविदा प्रदान करने संबंधी निर्णय पर राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने का प्रयास करता है, तो इसे गंभीर दुराचार माना जाएगा। ऐसी स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी और निविदाकर्ता को न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 'ब्लैक लिस्ट / प्रतिबंधित सूची' में डाल दिया जाएगा। यदि ऐसे उदाहरण चयन प्रक्रिया के दौरान पता नहीं चल पाते हैं लेकिन बाद में पता चलते हैं, तो ऐसी अयोग्यता तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

ii. संविदा को किसी भी कारण से दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को तीन माह की लिखित सूचना देकर समाप्त कर सकता है।

iii. ठेकेदार के दिवालिया घोषित किए जाने, दिवालिएपन की स्थिति में आने अथवा परिसमापन की प्रक्रिया से गुजरने की दशा में, अथवा उस स्थिति में जब ठेकेदार की वह तकनीकी अथवा वित्तीय क्षमता, जिसके आधार पर मूलतः उसे संविदा प्रदान की गई थी, में भारी कमी आ जाती है, तो अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त माना जाएगा। ऐसा समाप्तीकरण ठेकेदार को एक लिखित सूचना जारी कर के प्रभावी कर दिया जाएगा, जिसके लिए उसे किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं ठहराया जाएगा। यह समाप्तीकरण अनुबंध की शर्तों के तहत अथवा अन्यथा विधि के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्राप्त अथवा निहित किसी भी अधिकार अथवा उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

iv. यदि ठेकेदार बैंक द्वारा वाहनों की आपूर्ति हेतु जारी किसी मांग का पालन करने में विलंब (तीन घंटे) करता है या संविदा की किसी भी शर्त/ निर्देश का उल्लंघन करता है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के महाप्रबंधक/ डीजीएम-प्रभारी द्वारा इतना गंभीर माना जाता है कि दंड लगाया जाए, तो उक्त महाप्रबंधक/ डीजीएम-प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभारी अधिकारी से परामर्श कर प्रत्येक मामले में ठेकेदार पर अधिकतम ₹10,000 (रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना लगा सकते हैं। यह राशि ठेकेदार को देय भविष्य के बिलों से वसूल की जाएगी।

v. बार-बार या लगातार विलंब होने की स्थिति में अथवा संविदा की किसी भी प्रावधान का ठेकेदार द्वारा उल्लंघन किए जाने पर, बैंक संविदा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकता है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभारी अधिकारी की स्वीकृति के साथ महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग द्वारा लिखित सूचना दी जाएगी, चाहे ऐसे विलंब या उल्लंघन पर पूर्व में कोई दंड लगाया गया हो अथवा नहीं।

vi. संविदा की निरंतरता मुख्य रूप से ठेकेदार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। यदि किसी भी समय प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो संविदा को तीन माह की लिखित सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है।

vii. यदि ठेकेदार तीन से अधिक अवसरों पर सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक को संविदा समाप्त करने का अधिकार है, चाहे अग्रिम सूचना दी जाए या नहीं। इस स्थिति में परिवहनकर्ता को किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

viii. जिन मामलों में ठेकेदार पर कुल संविदा मूल्य का एक प्रतिशत संचयी दंड लगाया गया हो, वहाँ प्रारंभिक दो वर्ष की अवधि से आगे संविदा विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(के) विधियों के अनुपालन:

ठेकेदार/ ठेकेदारों को देश और संबंधित राज्य में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करना होगा। ठेकेदार अपनी किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी परिणामों से बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा, जिनके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

i. निविदाकर्ता को श्रम, कराधान, श्रमिक सुरक्षा, बाल एवं महिला श्रम, रोजगार आरक्षण आदि से संबंधित विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा। निविदाकर्ता को उपयुक्त प्राधिकरणों के अंतर्गत पंजीकृत होना

आवश्यक है, जैसे जीएसटी प्राधिकरण/ आयकर/ पैन/ ईपीएफ/ ईएसआई प्राधिकरण/ भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908/ श्रम लाइसेंस, आदि।

ii. ठेकेदार को मोटर वाहन अधिनियमों और संबंधित राज्यों में लागू नियमों का पालन करना होगा।

iii. ठेकेदार को अपने नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), ग्रेच्युटी अधिनियम 1972, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत ग्रेच्युटी भुगतान तथा अन्य सभी वैधानिक भुगतान करना होगा। यह भुगतान समय-समय पर केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, जो भी अधिक हो, किया जाएगा।

iv. श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 और/ या मजदूरी संहिता 2019 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों को ईपीएफ़ अधिनियम, 1952 और/ या सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार भविष्य निधि, बोनस अधिनियम, 1965 और/या मजदूरी संहिता 2019 के अनुसार बोनस और/या लाभांश तथा ईएसआई अधिनियम के अनुसार ईएसआई का लाभ दिया जाना चाहिए। यदि ईएसआई उपलब्ध नहीं है, तो ठेकेदार को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा का प्रावधान करना होगा। इसका संपूर्ण प्रीमियम ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने श्रमिकों के लिए ईपीएफ़ योगदान हेतु वैध ईपीएफ़ खाता होना चाहिए। किसी भी वैधानिक भुगतान के अनुपालन न होने की शिकायत की स्थिति में, संबंधित राशि बिल से काट ली जाएगी और बैंक को संविदा रद्द करने का अधिकार रहेगा।

v. ठेकेदार को सभी अभिलेख और कानूनी दस्तावेज़ प्रचलित विधि के अनुसार अद्यतन रखने होंगे और प्रबंधन/ वैधानिक प्राधिकरणों को माँगने पर प्रस्तुत करने होंगे।

vi. ठेकेदार को बैंक के कार्य हेतु नियुक्त कर्मचारियों के वेतन वितरण उनके हस्ताक्षर सहित त्रैमासिक आधार पर बैंक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। यदि भुगतान नकद में किया जाता है, तो यह बैंक के अधिकारी की उपस्थिति में उनके हस्ताक्षर सहित ऐसा भुगतान किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन जमा किया जा सकता है और भुगतान दर्शाने वाले बैंक विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

vii. प्रधान नियोक्ता अर्थात बैंक ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि ठेकेदार की चूक या लापरवाही के कारण बैंक को प्रधान नियोक्ता के रूप में ठेकेदार के कर्मचारियों को किसी कानून के अंतर्गत कोई राशि चुकानी पड़ती है, तो वह राशि बैंक द्वारा ठेकेदार से कर्ज़ के रूप में वसूल की जाएगी।

viii. ठेकेदार को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। यदि उसके कर्मचारियों/ मज़दूरों के विरुद्ध भारतीय रिज़र्व बैंक परिसर में यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत आती है, तो शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार को अधिनियम के अनुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ix. यदि ठेकेदार के किसी कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत की जाती है, तो उसे बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में लिया जाएगा।

x. यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी सम्मिलित पाए जाते हैं, तो ठेकेदार किसी भी प्रकार के मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। उदाहरणस्वरूप, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा बैंक के कर्मचारी के साथ यौन हिंसा सिद्ध होती है, तो बैंक के कर्मचारी को दी जाने वाली किसी भी मौद्रिक राहत का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

xi. ठेकेदार को कार्य आरंभ होने से पूर्व, संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत एक वैध लाइसेंस प्राप्त करना होगा, तथा कार्य समाप्ति तक वैध लाइसेंस रखना होगा। ठेकेदार को बाल श्रमिक (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 के प्रावधानों का भी पालन करना होगा। ठेकेदार को मजदूरी संहिता 2019, कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1938, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां

संहिता, 2020, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अथवा इनके संशोधनों और/ अथवा इस संबंध में समय-समय पर लागू किए जाने वाले अन्य संबंधित कानून/ अधिनियम/ विधि/ नियम/ विधान/ कोड के प्रावधानों का भी पालन करना होगा।

(एल) गैर प्रकटीकरण खंड:

ठेकेदार बैंक की अवसंरचना/ प्रणालियों/ उपकरणों, आदि से संबंधित किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण, जो संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान उसके संज्ञान या अधिकार में आते हैं, को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगा और सदैव उसे अत्यंत गोपनीय रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन हेतु या लागू कानूनों के अनुपालन हेतु आवश्यक हो। ठेकेदार बिना नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका अथवा अन्यत्र कार्य से संबंधित विवरण प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा या उसका प्रकटीकरण नहीं करेगा। ठेकेदार बैंक को किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उपयुक्त कदम उठाएगा, ताकि इस संविदा के अंतर्गत गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण का दायित्व पूर्ण रूप से निभाया जा सके। ठेकेदार के गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता संबंधी दायित्व संविदा की समाप्ति या निरस्तीकरण के बाद भी किसी भी कारण से प्रभावी रहेंगे। ट्रेजरी के परिवहन कार्य में नियुक्त ठेकेदार के कर्मचारी प्रेषण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सोशल मीडिया अनुप्रयोगों अपने आप को दूर रखेंगे। प्रेषण से संबंधित किसी भी जानकारी का साझा करना, जिसमें लाइव लोकेशन और फोटो सम्मिलित की सख्त मनाही है। परिवहन ठेकेदार अपने कर्मचारियों को प्रेषण के साथ फोटो, वीडियो, सेल्फी लेने से रोकने का निर्देश देगा। उपरोक्त का पालन न करना ठेकेदार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक को क्षतिपूर्ति का दावा करने तथा कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार होगा। विक्रेता/ ठेकेदार बैंक की 'सूचना सुरक्षा नीति' के प्रासंगिक प्रावधानों का भी पालन करेगा।

(एम) कामगारों की सुरक्षा एवं बीमा

i. ठेकेदार संचालन और अनुरक्षण कार्यों में संलग्न चालक तथा अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा, संरक्षा और बीमा अथवा जीवन बीमा के लिए स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

ii. ठेकेदार को अपने खर्च पर, किन्तु बैंक द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर, संविदा में निर्दिष्ट जोखिमों और कवरेज के विरुद्ध बीमा कराना और उसे बनाए रखना होगा। ठेकेदार को निम्नलिखित जोखिमों का कवरेज सुनिश्चित करना होगा।

(ए) पूर्ण संविदा मूल्य के लिए ऑल रिस्क (CAR) पॉलिसी।
(बी) स्थल पर कार्यरत ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए श्रमिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी।
(सी) तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी कुल ₹10.00 लाख की राशि के लिए, जिसमें प्रति दुर्घटना ₹2 लाख की सीमा होगी।

iii. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके श्रमिक कार्य करते समय पर्याप्त सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने आदि का उपयोग करें।

iv. किसी भी श्रमिक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन/ निरीक्षण करते समय हुई घातक चोट/ मृत्यु की स्थिति में बैंक किसी भी प्रकार के मुआवज़े के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

v. उद्धृत दरें उस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/ अधिसूचित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होनी चाहिए जहाँ सेवा प्रदान की जा रही है और इनमें सभी वैधानिक दायित्व सम्मिलित होंगे।

vi. संविदा के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए सभी कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार के देय भुगतानों के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा और बैंक इन कर्मचारियों की सेवाएँ लेने के लिए किसी भी देयता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

vii. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति शराबी, नशाखोर न हों और बैंक के हितों के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि में संलग्न न हों। ठेकेदार सभी नियुक्त जनशक्ति का पुलिस सत्यापन कराएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि नियुक्त जनशक्ति का चरित्र उत्तम हो।

खंड - VI
भाग-I – तकनीकी बोली फॉर्म

(नोट- इसे ई-निविदा पोर्टल पर भरकर अपलोड किया जाएगा)

क्रम सं.	विवरण	बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी		
1.	निविदाकर्ता का नाम			
2.	क्या निविदाकर्ता कोई कंपनी, साझेदारी फर्म या मालिकाना फर्म है			
3.	संविदा को निष्पादित करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नाम और पदनाम			
4.	कंपनी/ फर्म/ प्रोपराइटरशिप फर्म का पंजीकृत पता और संपर्क पता			
5.	दूरभाष नंबर	**कार्यालय**	**आवासीय**	**मोबाइल**
6.	ई-मेल आईडी			
7.	अहमदाबाद नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित निविदाकर्ता के कार्यालय/ स्थानीय प्रतिनिधि का पता			
8.	कंपनी द्वारा इस प्रकार के कार्य करने का अनुभव (वर्षों की संख्या) (प्रमाण पत्र संलग्न किए जाए)			
9.	पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर (लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण संलग्न किए जाए)			
10.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार नेटवर्थ (संलग्न किया जाए)			
11.	क्या वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट धारण किया गया है ? (वाहनों के राष्ट्रीय परमिट की फोटोकॉपी संलग्न की जाए)			
12.	बैंक का नाम, पता, आईएफएससी, खाता प्रकार और संख्या (रद्द किए गए चेक की प्रति संलग्न करें)			
13.	पैन संख्या (प्रतिलिपि संलग्न की जाए)			
14.	जीएसटीआईएन (प्रतिलिपि संलग्न की जाए)			

15.	**निविदाकर्ता द्वारा धारित पूरी तरह से कवर किए गए कंटेनर ट्रकों/ वाहनों का विवरण**					
ए) ट्रक/कंटेनर						
क्रम सं.	**कंपनी**	**मॉडल वर्ष**	**क्षमता (टनों में)**	**पंजीकरण संख्या**	**क्या ट्रकों/ वाहनों को जीपीएस, सीसीटीवी से सुसज्जित किया गया है। हूटर सिस्टम और अग्निशामक यंत्रों सहित वायरलेस मोबाइल संचार और जिसकी न्यूनतम क्षमता 9 मेट्रिक टन है? (हां/नहीं)**	**परमिट संख्या**

16. उन संस्थानों का विवरण जिनके साथ निविदाकर्ता ने इस प्रकार की संविदाएं की हैं (उनके समर्थन में दस्तावेज/ प्रमाण पत्र संलग्न किए जाए)

क्र. सं.	**संस्था का नाम**	**पता और टेलीफोन नंबर (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किए जाए)**	**संविदा की अवधि**	**संस्थान में किए गए कार्यों का वास्तविक मूल्य**

17. क्या परिवहन वाहनों के चालकों के चरित्र और पूर्ववृत्त पुलिस द्वारा सत्यापित और प्रमाणित हैं? - हाँ/ नहीं
(यदि हाँ, तो पुलिस सत्यापन रिपोर्ट संलग्न करें)

18. (ए) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा राज्य/ केन्द्र सरकार के विभाग द्वारा निविदाकर्ता को कभी ब्लैक लिस्ट / प्रतिबंधित सूची में डाला गया है? - हाँ/नहीं

(यदि फर्म या उसके निदेशकों को आरबीआई द्वारा आवेदन करने से प्रतिबंधित किया गया है अथवा ब्लैक लिस्ट / प्रतिबंधित सूची में डाला गया है या किसी आपराधिक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है)।

(बी) क्या फर्म या उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में लंबित है? हां / नहीं

यदि हाँ, तो विवरण दें (एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है)

19. क्या संविदा के नियम और शर्तें निविदाकर्ता को स्वीकार्य हैं? - हाँ/नहीं

यदि हां, तो संविदा के नियमों और शर्तों की एक प्रतिलिपि, इस निविदा दस्तावेज के ____ खंड में दी गई है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित, निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

20. भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के खाते में एनईएफटी के माध्यम से जमा बयाना राशि का विवरण:

ए) एनईएफटी विवरण:
बी) खाता नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक अहमदाबाद
सी) खाता संख्या 186003001
डी) आईएफएससी: RBIS0AHPA01 (5वें और 10वें अंक को शून्य (0) के रूप में पढ़ा जाए)

ई) कुल राशि:

<u>घोषणा</u>:

(ए) मेरे/हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उचित और सही है और यदि उनमें से कोई भी सूचना बाद में गलत/असत्य साबित होता/होती है, तो बैंक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है जैसा भी वह उचित समझे।

(बी) मैं/हम समझते हैं कि यदि मुझे/ हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी गलत/असत्य पाई जाती है तो हमारी निविदा किसी भी स्तर पर अस्वीकृति के लिए पात्र होगी और इस संबंध में आरबीआई का निर्णय अंतिम होगा।

कंपनी/फर्म के प्राधिकृत अधिकारी का नाम:

हस्ताक्षर (कंपनी/फर्म की मुहर के साथ):

दिनांक:

खंड - VII
दस्तावेजों की सूची

तकनीकी बोली के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची –

i. कंपनी के गठन या कानूनी स्थिति, पंजीकरण के स्थान और व्यवसाय के प्रमुख स्थान को परिभाषित करने वाले मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र दस्तावेजों की प्रतियां; बोली लगाने वाले को प्रतिबद्ध करने के लिए बोली के हस्ताक्षरकर्ता की लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी एवं उपयुक्त व्यवसाय लाइसेंस/पंजीकरण:
(ए) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
(बी) पैन
(सी) ईपीएफ, ईएसआई, श्रम लाइसेंस की प्रतियां
(डी) निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 या राज्य द्वारा प्रख्यापित समान प्रकार के अधिनियम/ नियमों के तहत वैध लाइसेंस की प्रति जिसमें सेवा की जाती है (सुरक्षा सेवा के मामले में)

ii. ऑल इंडिया परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और बीमा की प्रति के साथ कैश वैन/ कंटेनर ट्रक/ वाहनों के पंजीकरण दस्तावेज।

iii. पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक के लिए निष्पादित सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य।

iv. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार धनात्मक निवल मूल्य दर्शाने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित ऋण शोधन प्रमाण-पत्र।

v. पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए समान प्रकृति और आकार की सेवाओं में कार्य आदेशों और अनुभव प्रमाणपत्रों की प्रतियां और सेवाओं का विवरण या संविदा; और उन ग्राहकों के नाम और पते जिनसे उन अनुबंधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है। ग्राहकों से कार्य पूरा होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

vi. निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/ फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार पत्र

vii. इस संविदा के लिए कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता का प्रमाण (ऋण व्यवस्था) तक पहुंच और अन्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता)

viii. पिछले तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (खातों में नोट्स के साथ संबंधित अवधि के लिए बैलेंस शीट के साथ लाभ और हानि विवरण की प्रतियां)

ix. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के बैंक विवरण

x. रद्द किए गए चेक की प्रतिलिपि

xi. बोलीकर्ता के बैंकरों से संदर्भ मांगने का प्राधिकार।

xii. एक ऐसा घोषणापत्र जिसमें यह वचन दिया गया हो कि निविदाकर्ता किसी भी बैंक/ वित्तीय संस्था का आदतन चूककर्ता नहीं है और कंपनी/ व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं है। किसी भी मुकदमेबाजी, वर्तमान या पिछले पांच वर्षों के दौरान, जिसमें बोलीकर्ता शामिल है, संबंधित पक्षों और विवादित राशि के बारे में जानकारी।

xiii. यह दर्शाने वाला दस्तावेज कि निविदाकर्ता के पास अहमदाबाद के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर एक कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि है।

xiv. ड्राइवरों की वैध पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की प्रतियां उनके ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतियों के साथ

xv. सेवाओं के उप-संविदा घटकों (यदि कोई हो) के लिए प्रस्ताव संविदा मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक की राशि है।

xvi. आवेदक द्वारा संविदा के नियमों और शर्तों ('बोलीकर्ता को निर्देश' और निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट सामान्य और विशेष शर्तों में निहित) की स्वीकृति निविदाकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसी की एक प्रति जमा करें।

xvii. एनईएफटी के माध्यम से आरबीआई, अहमदाबाद के खाते में जमा की गई बयाना राशि की सूचना प्रति

xviii. कोई अन्य दस्तावेज/ सूचना जो दस्तावेजों की सूची का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसकी आवश्यकता निविदा दस्तावेज में उल्लिखित है, बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

xix. खंड V में उल्लिखित बीमा नीतियों की प्रतियाँ

उपर्युक्त दस्तावेजों को ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से बोलियां जमा करते समय तकनीकी बोली के साथ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत/ अपलोड किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त में से किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत न करने की स्थिति में, निविदा को बैंक के विवेकाधिकार पर भाग-I में अयोग्य माना जाएगा।

खंड-VIII
भाग-I का मूल्यांकन (तकनीकी बोली)

<u>पात्रता के मानदंड</u>

इस दस्तावेज़ में पहले निर्धारित पात्रता मानदंडों को तकनीकी बोली पर विचार करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, निम्नलिखित मानदंडों पर भी विचार किया जाएगा।

क्रम सं.	तकनीकी मूल्यांकन के मानदंड	क्या मानदंडों को पूरा किया गया है / आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं? (हां/ नहीं)	क्या निविदा के भाग-I में पात्रता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं	टिप्पणियां
1.	इसी प्रकार के कार्यों को करने का कम से कम तीन साल का अनुभव			
2.	पिछले तीन वर्षों के दौरान संविदा के अनुमानित व्यय का कम से कम 30% का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार - लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित होना चाहिए			
3.	सकारात्मक निवल मूल्य - बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए			
4.	क्या वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट है?			
5.	क्या परिवहन वाहनों के चालकों का चरित्र और पूर्ववृत्त पुलिस द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया गया है?			
6.	क्या निविदाकर्ता का नाम आरबीआई या राज्य/ केंद्र सरकार के किसी विभाग द्वारा कभी ब्लैक लिस्ट / प्रतिबंधित सूची में रहा है?			
7.	क्या फर्म या उसके निदेशकों के खिलाफ कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में लंबित है?			
8.	क्या निविदा दस्तावेज में दिए गए संविदा के नियम और शर्तें, विशेष रूप से निविदा दस्तावेज के खंड-V में, निविदाकर्ता को स्वीकार्य हैं? यदि हाँ, तो प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाए।			
9.	क्या निविदाकर्ता द्वारा बयाना जमाराशि ₹1,86,000/- बैंक को प्रदान की गई है? यदि हां, तो एनईएफटी विवरण की एक प्रति संलग्न करें।			

उपरोक्त मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने वाली निविदाएं ही निविदा के भाग-I में पात्रता प्राप्त करेंगी और भाग-II यानी वित्तीय बोली के लिए पात्र होंगी। हालांकि, बैंक अपने विवेकाधिकार के तहत किसी भी मानदंड को शिथिल करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है, जो सभी पर लागू होगा।

खंड IX - भाग II - मूल्य निविदा

क्र. सं.	कार्य का प्रकार	मात्रा (अनुमानित)	दर (₹ प्रति किमी) (A)	भारिता (B) (स्तंभ A में उद्धृत दर का प्रतिशत)	भारित दर (₹) (A*B)
1.	**स्थानीय प्रेषण:** अहमदाबाद की नगरपालिका सीमाओं के भीतर आरबीआई से इतर स्थानों पर या इसके विपरीत सिक्कों के थैलों/ बक्सों के परिवहन के लिए व्यापक दरें, जिसमें 9 मेट्रिक टन प्रति वाहन की क्षमता तक के लिए स्थानीय कर, बीमा, सुरक्षा व्यय आदि जैसे सभी आनुषंगिक व्यय शामिल हैं।	**6,000 किमी प्रति वर्ष**		**10%**	
2.	**आउटस्टेशन:** आरबीआई कार्यालय से गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दीव एवं दमण में अन्य स्थानों पर या आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर या इसके विपरीत सिक्कों के थैलों/ बक्सों के परिवहन के लिए व्यापक दरें, जिसमें 9 मेट्रिक टन प्रति वाहन की क्षमता तक के लिए टोल कर, बीमा, रोड टैक्स, रात्रि और प्रतीक्षा शुल्क, चालक भत्ता, सुरक्षा व्यय आदि जैसे सभी आनुषंगिक व्यय शामिल हैं।	**60,000 किमी प्रति वर्ष**		**90%**	
	प्राप्त संयुक्त दर				

मूल्य निविदा हेतु टिप्पणियाँ:

1. उपरोक्त मदों के लिए निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरों को दी गई सारणी के अनुसार भारित किया जाएगा और संयुक्त दरों तक पहुंचने के लिए भारित दरों को जोड़ा जाएगा। निविदाकर्ताओं की संयुक्त दरों को न्यूनतम (एल-1) दर वाले निविदाकर्ता तक पहुंचने के लिए बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया जाएगा।
2. उद्धृत दरें केवल ट्रेजर के परिवहन के लिए होनी चाहिए। रिक्त वाहन की वापसी/ यात्रा के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा भरने से पहले कार्य/ गतिविधियों के स्थल/ स्थलों, अर्थात बैंक परिसर का निरीक्षण करें और स्थल की स्थितियों से स्वयं को परिचित करा लें। निविदाकर्ता(ओं) को कार्य की सभी मदों के लिए दरें उद्धृत करनी होगी और कार्य के किसी भी भाग (पार्ट आइटम) के लिए संविदा नहीं की जाएगी।
4. ठेकेदारों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त मदों के संबंध में 'शून्य' राशि उद्धृत न करें।
5. 9 मेट्रिक टन क्षमता वाले कंटेनर के लिए दरें उद्धृत की जानी चाहिए।

6. इसमें सूचीबद्ध नहीं और संविदा में सहमत नहीं किए गए कार्य की मदों के लिए दरें बैंक द्वारा ठेकेदार से परामर्श के बाद निर्धारित की जाएंगी।

7. परिवहन दरों में सुरक्षा, बीमा, चालक भत्ता, रात्रि विराम शुल्क तथा परिवहन और अन्य आनुषंगिक एवं विविध शुल्क शामिल होने चाहिए।

8. दरें जीएसटी को छोड़कर सभी करों को सम्मिलित करने वाली हों।

9. भुगतान, विभिन्न हितधारकों से कार्य पूर्णता संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र/ डेटा/ जानकारी प्राप्त करने और बिल/ बिलों को सभी पहलुओं से पूर्ण पाए जाने के पश्चात किया जाएगा। तय की गई दूरी की गणना सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा की दूरी के आधार पर की जाएगी और किसी भी विवाद की स्थिति में यह गूगल रोड मैप के आधार पर होगी तथा बिलों का निपटान इसी अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय निविदाकर्ता के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

10. ठेकेदार को बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उच्च टनों की क्षमता वाले वाहन प्रदान करने होंगे और उपयोग किए गए वाहनों की लागत 9 मेट्रिक टन वाहनों के उपयोग के लिए सहमत दरों के आधार पर समानुपातिक रूप से गणना की जाएगी।

11. यह ध्यान दिया जाए कि कंटेनरों का अनुमानित रन क्रमशः स्थानीय और आउटस्टेशन के लिए प्रति वर्ष लगभग 6,000 किमी और 60,000 किमी होगा, जो सेवाओं के वास्तविक उपयोग पर निर्भर करेगा।

नोटः उपरोक्त उल्लिखित गतिविधियों/ मात्रा/ कार्य के दायरे केवल पूर्व अनुभव के अनुसार सांकेतिक हैं और भविष्य के कार्यों में यह भिन्न हो सकते हैं। उपरोक्त उल्लिखित गतिविधियों/ मात्रा/ कार्य के दायरे का भुगतान के आधार के रूप में विचार नहीं किया जाएगा। भुगतान केवल वास्तव में किए गए कार्यों के आधार पर किया जाएगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

मुहर

दिनांकः
स्थानः

अनुलग्नक-ए (दस्तावेजों का प्रारूप)

अनुसूची-ए प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रारूप

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर)

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
अहमदाबाद 380009
(गुजरात)

महोदय,

कार्य का नाम- प्रदर्शन सुरक्षा जमा राशि के लिए बैंक गारंटी

जबकि;
भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद, जिसका केंद्रीय कार्यालय शाहिद भगत सिंह रोड, मुंबई में स्थित है, (जिसे इसके बाद "आरबीआई" कहा गया है) ने उपर्युक्त शीर्षक वाली परियोजना के लिए___________ (ठेकेदार का नाम) (जिसे इसके बाद "उक्त ठेकेदार" कहा गया है) को उपर्युक्त कार्य (जिसे इसके बाद 'ठेका' कहा गया है) प्रदान किया है, जिसकी अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और वारिस भी शामिल होंगे)।

और जबकि ठेकेदार आरबीआई को एक निष्पादन सुरक्षा जमा के रूप में **₹2,00,00,000/-** (रुपये दो करोड़ मात्र) (आंकड़ों और शब्दों में राशि) की कुल राशि प्रस्तुत करने के लिए उक्त संविदा के तहत बाध्य है, संविदा में निहित नियमों और शर्तों की उक्त ठेकेदार द्वारा उचित पूर्ति के लिए। हम,___________________________ (बैंक का नाम), (जसे इसके बाद "बैंक" कहा गया है), मैसर्स _______________________ के अनुरोध पर एतदद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को संविदा के नियमों और शर्तों की उचित पूर्ति के लिए प्रदर्शन गारंटी के रूप में उस राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जो **₹2,00,00,000/-** की सीमा मे होगी।

अब यह गारंटी इस बात की गवाह है कि

(1) हम (बैंक का नाम) एतद्द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से सहमत हैं और वचन देते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ठेकेदार ने संविदा की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो ऐसा निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा; भारतीय रिज़र्व बैंक की मांग पर हम भारतीय रिज़र्व बैंक को बिना किसी विलंब के इसका भुगतान करेंगे।
₹. _________ (रुपये ______ मात्र) या उससे कम कोई भी राशि जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांगी जा सकती है। हमारी गारंटी को उक्त संविदा के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित प्रदर्शन कै लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के समतुल्य माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के समक्ष हमारी देयता की राशि ₹ _______ (रुपये ______ मात्र) से अधिक नहीं होगी।

(2) हम यह भी स्वीकार करने और पुष्टि करने के लिए सहमत हैं कि राशि ₹__________(रुपये_____________) से अधिक नहीं है जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, हमारे द्वारा बिना किसी संघर्ष/ विरोध के भुगतान किया जाएगा, केवल लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक से मांग किए जाने पर जिसमें कहा गया है कि राशि उनके लिए देय है और हम कोई और सबूत या साक्ष्य नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी संबंध में या तरीके से पूछताछ नहीं की जाएगी। बैंक किसी भी न्यायालय, अधिकरण या उससे संबंधित मध्यस्थों के समक्ष लंबित किसी भी विवाद या कार्यवाही में ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद/ मतभेद के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक को इस प्रकार की मांग की गई किसी भी धनराशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत दायित्व पूर्ण और स्पष्ट होगा। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।

4. इस गारंटी को हमारे द्वारा आरबीआई की लिखित सहमति के बिना रद्द नहीं किया जाएगा।
हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि -

ए) उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त संविदा में निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में या इसके तहत या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ठेकेदार को किसी भी समय प्रदान करने या उसके संबंध में किसी अन्य मामले को दिखाने में भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से कोई भी देयता या कमीशन, हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा उनके दायित्वों के प्रदर्शन से और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹__________ (रुपये____मात्र) से अनधिक राशि का भुगतान करके दी जाएगी।

बी) इन प्रावधानों के तहत हमारी देयता ₹_____(रुपये ______मात्र) के योग से अधिक नहीं होगी।

सी) इस समझौते के तहत हमारा दायित्व हमारे उक्त घटकों/ ग्राहकों की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता या उसके तहत उनके दायित्वों या हमारे उक्त घटकों के गठन कें विच्छेदन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

डी) इन प्रावधानों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन प्रावधानों को नवीनीकृत नहीं किया जाता जैसा कि ऊपर वर्णित है या उस दिन जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का अनुपालन करते हैं, जिसके बारे में केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र जो भी बाद में हो, निर्णायक प्रमाण माना जाएगा। जब तक कि हमारे खिलाफ कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है या किसी भी विस्तारित अवधि में, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकारों को ज़ब्त कर लिया जाएगा और हमें यहां उल्लिखित प्रावधानों के तहत हमारे सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

जिसके साक्षी के रूप में बैंक के मैंने/ हमने (वर्ष) ------ (माह)____ के --------- दिन इस गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं और मुहर लगा दी है, जिसे इसके साथ विधिवत रूप से प्राधिकृत किया जा रहा है।

(बैंक का नाम)______________के लिए और की ओर से___________

बैंक के प्राधिकृत आधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर:
पदनाम बैंक की मुहर

उपर्युक्त द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित किया गया:

गवाह-1 के हस्ताक्षर________________ नाम_________ पता ....
(नोट: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टैम्प शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे)।

अनुसूची (बी) - भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीकर्ता द्वारा
घोषणा-पत्र / घोषणा / प्रमाणपत्र का प्रोफार्मा

(बोलीकर्ताओं द्वारा अपने पत्रशीर्ष पर विधिवत मुहर और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद

कार्य का नाम:

मैं/ हम (नाम और पता, बोलीकर्ता के स्थान के देश सहित) ने सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 23 जुलाई 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) F.No 6/18/2019- पीपीडी की सामग्री और इसके बाद के आदेशों/ संशोधनों को पढ़ा और समझा है जो किसी ऐसे देश के बोलीकर्ता से खरीद पर प्रतिबंध लगाती है, जो देश भारत के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है।
1) मैं/हम प्रमाणित करते हैं ____________(बोलीकर्ता का नाम) कि हम भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश से नहीं है, अथवा
i) या भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के यहाँ पंजीकृत है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है,
ii) या भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश से है जहां भारत सरकार ने ऋण की सुविधा प्रदान की है,
iii) या भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी ऐसे देश से है जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है। (उपरोक्त में से जो भी लागू नहीं है, उसे काट दें।)

2. मैं /हम आगे यह भी प्रमाणित करते हैं कि (बोलीकर्ता का नाम) मैं/ हम इस संबंध में सभी आवश्यकताएं और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और इसके बाद के आदेशों/ संशोधन के प्रावधान के तहत विचार किए जाने के लिए पात्र है। हम यह वचन देते हैं कि उन अनुबंधों के मामले में जहां हमें बैंक/ आरबीआई द्वारा उप-संविदा करने की अनुमति होने पर भी मैं/ हम __(बोलीकर्ता का नाम) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के ठेकेदार कोई कार्य सौंपने के लिए उप-संविदा नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश में निहित सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

3. मैं/हम जानते हैं और समझते हैं कि, यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचननामा / घोषणा / प्रमाणन / प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा/ कार्य आदेश को अस्वीकार करने/ उसे समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और बैंक कानून के अनुसार किसी भी कानूनी कार्रवाई को शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना जमा राशि / प्रदर्शन बैंक गारंटी / सुरक्षा जमा को ज़ब्त करना और/अथवा हमें भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करना शामिल है।

स्टैम्प के साथ बोलीकर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:
स्थान:

अनुसूची (सी) - संगठनात्मक विवरण

<table>
<tr><td>निविदाकर्ता का नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>क्या यह व्यक्तिगत स्वामित्व, साझेदारी या सीमित कंपनी है?</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>साझेदारी/ लिमिटेड कंपनी के गठन की तिथि</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">डाक का पता</td><td colspan="2">स्थानीय पता</td><td>स्थायी/पंजीकृत कार्यालय का पता</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>पिन कोड</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ)</td><td>ऑफिस</td><td>आवासीय</td><td>मोबाइल</td></tr>
<tr><td>ई-मेल</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

स्थान:
दिनांक:

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

अनुसूची (डी) - सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र

(किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पत्र शीर्ष पर)

संदर्भ संख्या :.................... दिनांक :____________

जो भी संबन्धित है

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं अभिलेखों के अनुसार, मेसर्स/________________________ (बोलीकर्ता का नाम एवं पूर्ण पता), जो हमारी बैंक के ग्राहक हैं, सम्मानित प्रतिष्ठा रखते हैं तथा ₹ _________ (राशि शब्दों में ___________________) तक के आदेशों का निष्पादन करने में सक्षम हैं।
मेसर्स_________________ वर्ष _____ से वर्तमान तिथि तक हमारे ग्राहक हैं तथा उन्हें हमारे बैंक द्वारा विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत नीचे दिए अनुसार सीमाएँ (Limits) प्रदान की गई हैं:

....

....

यह प्रमाण पत्र ग्राहक के विशिष्ट अनुरोध पर जारी किया जाता है।

भवदीय

(बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर)

अनुसूची (ई) - पंजीकरण विवरण

क्र सं.	पंजीकरण का प्रकार	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि
1	आयकर- पैन		
2	आयकर – टैन (टीडीएस के लिए)		
3	जीएसटी नंबर		
4	दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम		
5	पीएफ/ ईपीएफ		
6	किसी अन्य प्रकार का पंजीकरण		
7	क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन*) केन्द्रीय नियम, 1971 और कोई अन्य कानूनी प्रावधान आपकी फर्म पर लागू?		
8	क्या आपके पास अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970/71 की धारा 12 (1) के तहत लाइसेंस है, यदि हां, तो लाइसेंस संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।		
9	ईएसआईसी पंजीकरण विवरण		

मैं/ हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/ हमने उपरोक्त शर्तों को पढ़ और समझ लिया है।

स्थान:
दिनांक:

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

अनुसूची एफ - ग्राहकों की सूची

(जिनके लिए पिछले 3 वर्षों में समान प्रकार का कोई काम किया गया हो)

क्रम संख्या	विवरण	ग्राहक (1)	ग्राहक (2)	ग्राहक (3)
1.	नाम			
2.	पता			
3.	ईमेल आईडी			
4.	संपर्क नंबर			
5.	कार्य का संक्षिप्त विवरण			
6.	संविदा प्रदान करने की तिथि (कृपया संविदा प्रदान करने संबंधी पत्र संलग्न करें)			
7.	ग्राहक से प्रमाण पत्र (खंड V के "अनुलग्नक" के अनुसार संलग्न किया जाना है)			

मैं /हम एतद्द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को अपने किसी भी ग्राहक से संदर्भ लेने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

स्थान:

दिनांक:

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

अनुसूची (जी) - बैंकरों का विवरण

क्र. सं.	**विवरण**	**बैंक 1**	**बैंक 2** इसे इसी क्रम में आगे बढ़ाया जा सकता है।
1.	बैंक का नाम और पता		
2	बैंक से प्राप्त सुविधाओं का विवरण (ऋण सुविधाएं, यदि कोई हो)		
3.	संपर्की व्यक्ति		
4.	ईमेल आईडी		
5.	टेलीफ़ोन का नंबर		
6.	फैक्स नंबर		

मैं/हम एतद्द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद को अपने किसी भी बैंकर से संदर्भ लेने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

स्थान:

दिनांक:

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

अनुसूची (एच) - सार्वजनिक संस्थान(नों) द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में घोषणा-पत्र
(निविदाकर्ता द्वारा अपने पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

कार्य का नाम:

1. मैं/ हम __________________ (बोलीकर्ता का नाम) घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि,

(ए) भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/ संस्था द्वारा _____ (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) को मैं/ हम प्रतिबंधित/ निलंबित/ ब्लैक लिस्ट / प्रतिबंधित सूची में नहीं डाले गए हैं।

(बी) मैंने/ हमने _________ (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) तक पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/ संस्था के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।

(सी) मैं/ हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे, यदि मैं/ हम भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/ संस्था द्वारा या उससे पहले या उससे पहले प्रतिबंधित/ निलंबित/ ब्लैक लिस्ट / प्रतिबंधित सूची में डाल दिए जाए।

2. मैं/ हम __________________ (बोलीकर्ता का नाम) घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि, मैं/हम____________ ________________ (भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित/ निलंबित/ ब्लैक लिस्ट / प्रतिबंधित सूची में डाला गया है और यह _______ (तारीख) तक प्रभावी है। आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए इस तरह के पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(बोलीकर्ता वाले की मुहर और हस्ताक्षर)
दिनांक:
स्थान:

(नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से जो लागू नहीं है उसे काट दें।)